

ह्यूमनिस्ट पार्टी का संक्षिप्त इतिहास

अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन अर्थात् 10 दिसंबर, 1984 को ह्यूमनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। यह कहा जा सकता है कि यह कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है ऐसी युवा पीढ़ी द्वारा शुरू की गई पार्टी है जिन्हें पारंपरिक राजनीति में न तो किसी तरह का अनुभव है और न ही जिन्होंने लोकप्रियता, धन व यश का उस तरह से उपभोग किया है अथवा अनुभव किया है।

शुरुआत से ही पार्टी ने ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू किया जो जमीन से जुड़े हुए हैं यानी कि वह जनता जिनके लिए इस पार्टी के संगठित किया गया और जो ऐच्छिक आधार पर काम करने की भावना रखते हैं।

हमारी पार्टी का आधार कोई भी आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्तित्व नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने स्वार्थों को परे रख कर हम स्वतंत्र रूप से यह सोच सकें कि आज के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में देश के लिए भला क्या है?

इस पार्टी के संगठन की प्रेरणा हमें उस मानवतावादी सिद्धांत से मिली है जो कहता है कि "मानव से ऊपर कोई नहीं है और कोई भी मानव एक-दूसरे से कमतर नहीं है। हमारे पाँच आधारभूत बिंदु हमारे मत का संक्षिप्त परंतु स्पष्ट अर्थ प्रस्तुत करेंगे।

अपनी स्थापना के तुरंत बाद इस पार्टी ने विधानसभा (जनवरी, 1986) तथा नगरपालिका (अप्रैल, 1986) के चुनावों में एक साथ सात उम्मीदवारों के साथ मुंबई (महाराष्ट्र) में भाग लिया। चुनावों में विजय तो नहीं मिली पर प्रत्याशियों को बुरी पराजय भी नहीं देखनी पड़ी, तब से अब तक हम सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर लगातार अभियान छेड़ रहे हैं और हर तरह की हिंसा के विरुद्ध अहिंसात्मक तरीके से लड़ रहे हैं।

हमारे विचारों और मतों को विस्तार मिलता रहे और सदस्यों में वृद्धि होती रहे, यह पार्टी की एक स्थायी गतिविधि है। परिणामस्वरूप हर जगह 'बेसकाउंसिल्स' बनाए गए हैं, आज के समय अपने देश में सात राज्यों में ये बेसकाउंसिल्स हैं।

किसी न किसी सकारात्मक बिंदु पर अभियान छेड़ते हैं, पार्टी अखबार 'द ह्यूमनिस्ट वॉयस' निकालते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और बैनर तथा पोस्टर भी प्रदर्शित करते हैं।

हमारी शिक्षा हमेशा लोगों से साक्षेप संवाद स्थापित करने की ओर रही है।

उदाहरण के तौर पर इस पार्टी ने कुछ राष्ट्रीय स्तर के अभियान छेड़े हैं जैसे—राष्ट्रीय एकता के लिए, राजनैतिक उत्तरदायित्व के कानून के लिए, राजनैतिक पार्टियों के कानून के लिए और कुछ स्थानीय स्तर पर भी अभियानों की शुरुआत हुई है जिनमें मुख्य हैं—आम जनता के लिए आवाज़ उठाना, विद्यार्थियों और कामगारों के हक और सही माँगों के समर्थन में।

1985 और 1986 में हमने अपने पहले और दूसरे वार्षिक संगठनात्मक चुनावों का आयोजन किया। चूँकि हम सही अर्थों में प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को शामिल करने की दृष्टि से इन चुनावों का आयोजन करते हैं।

हमारी पार्टी में लिंग भेद, पैसे की शक्ति, जाति, बड़े लोगों से संबंध, धर्म आदि किसी भी आधार पर किसी प्रकार भेद-भाव नहीं किया जाता। आजकल हमारे अभियानों का

मकसद बेस काउंसिल्स और सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का है।

मुख्य नारे/उद्देश्य

- भारत का मानवीकरण करना अर्थात् मानवीय दृष्टि प्रदान करना,
- मजबूत और संयुक्त भारत
- मानव से फपर कुछ भी नहीं है और कोई भी मानव एक-दूसरे से तुच्छ नहीं है;
- संपूर्ण भारत एक है और सभी भारतीयों के लिए है।

कुछ कम और लंबी अवधि वाले कार्य :-

1. प्रत्येक जगह पार्टी के बेस काउंसिल्स का संगठन करना,
2. सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर कार्य करना, क्रियाशील अहिंसात्मक तरीके से हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाना और यह सब अपने साधनों और संभावनाओं के भीतर रहकर करते हैं।
3. प्रत्येक चुनाव में हिस्सा लेना चहो साधन हों या नहीं और चाहे जीतने के आसार हों या नहीं।
4. अपने काम करने के तरीकों और मानवीय सिद्धांतों के आधार पर अपने कैंडर का स्पष्टीकरण रखना।
5. जनता तथा अन्य संगठनों में अपने विचारों, छवि और अपने कार्यों का प्रचार-प्रसार करना।
6. एक जानी पहचानी राष्ट्रीय पार्टी की छवि बनाने के लिए, कम से कम चार राज्यों में एक राज्य पार्टी की पहचान प्राप्त करने की दिशा में काम करना।
7. भारत को मानवीय रूप से रूपांतरित करने के लिए शक्तियों तक अपनी पहुँच बढ़ाना।

कार्य करने के तरीके (गतिविधियाँ)

एक बेस काउंसिल में आने के बाद आप क्या करेंगे—

1. संगठित करना — A. अपने सदस्यों को
B. लोगों को
2. स्पष्टीकरण — A. अपने सदस्यों के लिए
B. लोगों के लिए

1. संगठन

A. अपने सदस्यों का-

- प्रत्येक जगह बेस काउंसिल्स बनाना,
- संगठन को संघ से जोड़ना, सम्बद्ध करना,
- 'द ह्यूमनिस्ट वॉयस' अखबार की बिक्री
- उन लोगों की रहने की स्थिति को उन्नत करने के प्रयास करना—जिन्हें संगठित प्रयासों की जरूरत है,
- उन लोगों से संपर्क साधना, सहारा देना, संगठित करना, स्पष्टीकरण देना—जो हिंसा, भेदभाव, अन्याय आदि के शिकार हुए हैं, उनकी स्थिति के लिए अहिंसात्मक समाधान ढूँढना।
- हर तरह की हिंसा की अहिंसात्मक तरीके से निंदा और विरोध करना (शारीरिक, सांप्रदायिक, आर्थिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक)
- लोगों के विरुद्ध किए जा रहे हर तरह के भेदभाव जैसे—जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, धन, लिंग आदि की निंदा और विरोध करना,
- किसी भी प्रकार के एकाधिकार (संगठनात्मक, दर्शनात्मक, आर्थिक आदि) की निंदा व विरोध करना,
- अपने मानवतावादी सिद्धांतों को आधार बनाकर सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्ताव बनाना।
- प्रत्येक वर्ष अपने आंतरिक संगठनात्मक चुनाव आयोजित करना और अपने संबद्ध संगठनों के वोट हासिल करने के प्रयास करना,
- संसाधनों की सुलभता हो या न हो पर आम चुनावों में हर स्तर पर अपने प्रत्याशी खड़े करना।
- जन संचार, राजनैतिक पार्टी, अन्य संगठनों तथा आम जनता में अपने विचारों को फैलाना।
- अपने सूचना तंत्र, पब्लिकेशंस, फंड, संप्रेषण आदि को उन्नत व संवर्द्धित करते हुए संगठनात्मक तथा प्रशासनिक रूप से अपने को विकसित करना और मजबूत करना।

B. लोगों का

ऊपर उल्लिखित गतिविधियां इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि आम नागरिक और सभी शुभेच्छु एक सकारात्मक दिशा की ओर संगठित हों। इस उद्देश्य को हासिल करने के कई तरीके हैं। जो हमारे प्रस्तावों से सहमत हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि याचिकाओं पर हस्ताक्षर करें, हस्ताक्षर अभियान चलाएँ, रैलियों में हिस्सा लें, मोर्चे और सभाओं में भाग ले, लीफ़्लैट्स बांटे दान आदि इकट्ठ करें, अखबार के पाठक ढूँढ़ें, मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी इस दिशा की ओर संगठित करें। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी वे प्रयास कर सकते हैं, करें।

कहने की आवश्यकता नहीं, हम लोगों के लिए कार्य करते हैं और उन्हें एकजुट संगठित होने के लिए भी प्रेरित करते हैं। चूँकि यह एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से जुड़ी है और सामाजिक तथा राजनैतिक मामलों में भी जनता के संवाद को शामिल करती है अतः लोगों का ऐच्छिक रूप से शामिल और संगठित होना बहुत जरूरी है।

2. स्पष्टीकरण-

A) अपने सदस्यों का (नोट न. 2 पर ध्यान दें)

- मासिक पार्टी समाचार 'द ह्यूमनिस्ट वूयस' को पढ़ना और उस पर चर्चा करना।
- प्रस्तुत बुकलेट "एच.पी. : वे ऑफ वर्किंग" तथा "एच.पी. : आइडियोलोजी की विषयवस्तु पढ़ना और उस पर चर्चा करना।
- "एक मानवीय सरकार के ड्राफ्ट कार्यक्रम" को पढ़ना और उस पर चर्चा करना (केवल सचिवों के लिए)
- अन्य सामग्री यथा रिपोर्ट, सरकुलर्स आदि को पढ़ना, अध्ययन करना, उस पर चर्चा करना।
- पार्टी की गतिविधियों में क्रियशील रूप से योगदान ही सबसे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण है।
- सभी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ना और चर्चा करना,
- "राजनैतिक सेमिनार" को पढ़ना और चर्चा करना (केवल सचिवों के लिए)

B. लोगों का

- हमारे राष्ट्र की जरूरतों और हमारे द्वार उठाए गए कदमों/प्रयासों के प्रति जागरूकता पैदा करना,
- मानववादी सिद्धांतों को आधार बनाकर सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों के लिए विकल्प ढूँढना और प्रस्ताव बनाना।
- बड़ी अथवा छोटी, बाह्य अथवा आंतरिक घटित अथवा संभावित हर प्रकार की निंदा की भर्त्सना करना,
- हिंसा के तुरंत और दूरगामी प्रभावों का स्पष्टीकरण देना,
- अपने साहित्य एवं अन्य प्रकार की सामग्री का प्रसार-प्रचर करना और अधिक लोगों तक पहुँचाना।

बेस काउन्सिल

जनरल सचिव
संगठनात्मक सचिव
पॉलिटिकल एक्शन सचिव
प्रसार सचिव
रिलेशंस सचिव
प्रशासनिक सचिव
आर्थिक सचिव
सोशल एक्शन सचिव
आदि आवश्यकतानुसार

सुनियोजित, सुनिर्मित बेसकाउन्सिल (न्यूनतम शर्तें)

- 10 सम्बद्ध संस्थाएँ (4 सचिव/एक्टिविस्ट कार्यकर्ता)
- 30 आधार प्रदान करने वाले सपोर्टर
- जहाँ से प्रति माह 'द ह्यूमनिस्ट वॉयस' की पचास प्रतियाँ बिक जाती हों,
- बैठक आयोजित करने का स्थान
- आंतरिक चुनावों का आयोजन

एच.पी. कार्य प्रणाली को प्रजातांत्रिक रूप देने के लिए प्रति वर्ष आम चुनावों का आयोजन किया जाता है। यह पार्टी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक सूची वाली चुनाव व्यवस्था का उपयोग करती है। (नोट संख्या-3 देखें)

बेस काउन्सिल के सचिवालय

एक बेस काउन्सिल तभी मजबूत और क्रियाशील मानी जा सकती है जब सभी सदस्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में योगदान दें बजाय कि वह स्थिति जब अधिकांश लोग काम न करें और कुछ ही लोग अधिक सक्रिय हों।

एक बेस काउन्सिल तभी सुदृढ़ और संगठित है जब सभी सदस्य आवश्यकतानुसार एकजुट हो जाते हैं। और उससे भी अच्छी स्थिति तब है जब अत्यधिक क्रियाशील एक्टिविस्ट भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न क्रियाओं का आयोजन करते हैं जैसे कि सचिवालय।

कार्यों का यह विभाजन बेस काउन्सिल को भिन्न-भिन्न उद्देश्यों, कार्यों को पूरा करने और संगठित करने के लिए आधार प्रदान करता है बजाय कि एक ही समय कई व्यक्ति एक ही काम में जुटे, कार्यों का विभाजन जरूरी है। यह एक संगठित सक्षम समूह कार्य की पहचान है।

- एक समूह अथवा दल में किए जा रहे कामों की तुलना में संगठित समूह में

सुनियोजित तरीके से किए जा रहे कामों से अभीष्ट परिणाम सामने आते हैं।

- एक बेस काउन्सिल को हम तब संगठित और आयोजित और क्रियाशील मान सकते हैं जब निम्नलिखित चार सचिवों की नियुक्ति हो गई हो और उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया हो—

1. जनरल सैक्रेटरी

आमतौर पर वह कार्यकर्ता जिसने नई बेस काउन्सिल की स्थापना की हो, जो पूरी तरह से पार्टी के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में गतिशील और समर्पित है, बेस काउन्सिल का जनरल सैक्रेटरी बनता है, उसके मुख्य कार्य हैं अन्य सचिवों और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना और बेस काउन्सिल के लिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करना। नियमित रूप से सप्ताह में एक बार वह चलाई जा रही गतिविधियों, परिणामों, योजनाओं के संबंध में उच्च स्तरीय काउन्सिल सदस्य को रिपोर्ट करती/करता है।

नियमित सदस्यों और नए जुड़ने वाले सदस्यों सम्बद्ध संस्थाओं के लिए सूचनात्मक व प्रस्तावना संबंधी बैठकें आयोजित करता/करती है। प्रैस कांफ्रेंस, साक्षात्कार आमंत्रित करना, आम जनता में वक्तव्य देना, संगठनात्मक और सिद्धांतों को लेकर आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण देना आदि उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

2. ऑर्गेनइजेशन सचिव

यह सचिव बेसकाउन्सिल की वृद्धि और विस्तार के लिए उत्तदायी है और नई बेस काउन्सिल आरंभ करना उनके लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना भी इसी के कार्यक्षेत्र में आते हैं। नई संस्थाओं को जोड़ने के लिए, नए सचिवों की नियुक्ति के लिए, नए-नए स्थानों में अपनी पहुँच बनाने के लिए नई-नई योजनाओं, एक्शन प्लॉन का सुझाव देते हैं तथा उनको क्रियान्वित भी करते हैं।

3. मोबिलाइजेशन सैक्रेटरी (पालिटिकल एक्शन भी कहा जाता है)

उन सभी अभियानों और योजनाओं तथा गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें आयोजित व संगठित करने और क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व इन पर है जिनके माध्यम से पार्टी अपने आस-पास की राजनैतिक जिंदगी में सशक्त रूप से उभर सके और क्रियाशील बन सकें। मुद्दों पर भिन्न-भिन्न तरीके से कदम उठाकर और उन्हें रैली, मोर्चा, हस्ताक्षर अभियान, हड़ताल आदि के द्वारा उभारकर हमारे कार्यकर्ता लोगों को संगठित करते हैं जिससे बेस काउन्सिल की उपस्थिति को महसूस किया जा सके और अस्तित्व को जाना जा सके।

सचिव को स्थानीय मुद्दों, दूसरी राजनैतिक शक्तियों और उनके द्वार उठाए जा रहे कदमों व प्रयासों की जानकारी होनी जरूरी है।

4. डिफ्यूज़न सैक्रेटरी (मासमीडिया या जन संचार भी कहा जाता है)

पार्टी को लोग जाने, जन संचार के साधनों द्वारा इसके कार्यों का प्रचार-प्रसार हो, इन बातों का उत्तरदायित्व डिफ्यूज़न सचिव का है। पत्रकारों से लगातार संपर्क बनाए रखना, प्रैस नोट लिखना और भेजना, प्रैस कांफ्रेंस आयोजित करना और अन्य सचिवों के साक्षात्कारों का आयोजन करना आदि मुख्य उत्तरदायित्व हैं। इन सभी उत्तरदायित्वों के

साथ-साथ यह सचिव वॉल राइटिंग (दीवार लेखन), अपने अखबार की बिक्री, पोस्टरों को चिपकवाना, बैनर लीफ्लैट्स आदि द्वारा प्रसार के लिए भी उत्तरदायी है।

ऊपर उल्लिखित सचिवों की नियुक्ति के पश्चात निम्नलिखित सचिवों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

5. रिलेशंस सैक्रेटरी (पब्लिक रिलेशंस भी कहा जाता है)

यह सचिवालय अन्य राजनैतिक पार्टियों से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है और आस-पड़ोस में काम आने वाले संगठनों से भी संपर्क साधता है इसी प्रकार सरकारी अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी संपर्क साधना भी जरूरी होता है। इन सब कार्यों के माध्यम से पार्टी की सूचनाएँ, उद्देश्यों संयुक्त कार्यवाहियों का प्रचार-प्रसार होना जरूरी है।

6. सोशल एक्शन सैक्रेटरी

आम राय चुनावों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं और अपेक्षाओं की जानकारी रखते हुए यह सचिवालय उत्पादन, व्यवस्थापन, सेवाओं आदि के क्षेत्र में सहकारी प्रयासों को आमन्त्रित करता है। मुख्यतः सबसे पहले अपने सदस्यों की अपेक्षाओं और जरूरतों तथा संघर्षों को दूर करने व उनके लिए समाधान पाने की दिशा में प्रयत्नशील रहता है।

7. पब्लिकेशंस सचिव

पब्लिकेशंस से संबंधित सभी प्रकार की बेस काउंसिल की जरूरतों जैसे-लीफ्लैट्स पोस्टर, बैनर आदि) की छपाई, मुद्रण का उत्तरदायित्व इस कार्यालय पर है। केवल मुद्रण ही नहीं अपितु विषयवस्तु का चयन व उसकी डिजायनिंग भी इसी कार्यालय द्वारा की जाती है। दूसरी ओर सहयोग लेकर 'द ह्यूमनिस्ट वॉयस' के लिए लेख आमन्त्रित करना, लिखना, अनुवाद करना, बिक्री वितरण आदि भी इसी सचिवालय का उत्तरदायित्व है।

8. एडमिनिस्ट्रेशन सैक्रेटरी

बेस काउन्सिल की सभी कार्यवाहियों, बैठकों की रिपोर्ट तैयार करना, आवश्यक स्थानों पर उन्हें भेजना, सभी सचिवों से संबंधित सूचनाएँ एकत्रित करना, कार्यकर्ताओं से आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करना, उनका सभी जगह प्रसार करना, समाचार तैयार कर, संप्रेषित करना, नोटिस भेजना आदि इस सचिवालय की कार्य परिधि में आता है।

9. फाइनेंस सैक्रेटरी

यह फंडरेजिंग गतिविधियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन करता है, वास्तविक दानकर्ताओं से संपर्क साधता है, बेस काउन्सिल की आय-व्यय का लेखा-जोखा रखता है, यह कार्य वह व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता/सकती है और सामूहिक रूप से भी।

10. क्लेरीफिकेशन सैक्रेटरी

इन्हें अपनी पार्टी के मतों और सिद्धांतों की गहन रूप से समझ और जानकारी होनी चाहिए, जिन मुद्दों को उठाया गया है, उनकी समझ और जानकारी होनी चाहिए, जिन मुद्दों को उठाया गया है, उनकी समझ और उनके क्या प्रभाव होंगे, स्थानीय परिस्थितियों में बेस काउन्सिल के कार्यक्रमों का रूपांतरण किस प्रकार से हो, यह समझ रखनी बहुत

जरूरी है।

सचिव स्पष्टीकरण संबंधी सामग्री तैयार कर सकती/सकता है, इस प्रकार की बैठकें आयोजित कर सकता है जहा। पर इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जा सके और हर बिंदु का खुलासा हो सके।

ऊपर जिन सचिवों का उल्लेख किया गया है वे कार्य की प्रकृति, विशालता के आधार पर संयुक्त सचिवों की सहायता ले सकते हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इन सभी की नियुक्ति प्रॉविजनल ही होगी जब तक कि आंतरिक चुनावों द्वारा इन्हें स्वीकार न कर लिया जाए। बेस काउन्सिल के सभी सचिव एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, प्रत्येक प्रस्ताव रखते हैं, चर्चा में हिस्सा लेते हैं और अपने अलग-अलग कार्यों पर एक-दूसरे की राय भी जानते हैं। हर गतिविधि और हर अभियान में सभी की अपनी-अपनी क्षमता व सामर्थ्यानुसार हिस्सेदारी होती है।

सामूहिक गतिविधियों को क्रियान्वित करते समय वे सभी वही कुछ करते हैं जो कि किसी भी सामान्य से कार्यकर्ता को करना चाहिए, साथ-साथ कार्यकर्ताओं के समूह को गतिविधियों से परिचित करवाते हैं, सचिव सदैव अपने कार्यविशेष की ओर प्रयासरत रहते हैं। किसी भी बेस काउन्सिल का मुख्य कार्य प्रत्येक कार्यकर्ता के आधार पर दैनिक, साप्ताहिक व मासिक गतिविधियों को क्रियान्वित करना है जो उच्च स्तरीय काउन्सिल (परिषद्) द्वारा सौंपी गई है या फिर परिषद् स्वयं तय की है। आदर्श स्थिति तो यह है कि हर बेस परिषद् नए नए संगठनों, संघों को अपने से जोड़े, 'द ह्यूमनिस्ट वॉयस' की बिक्री और वितरण को बढ़ाए, वर्तमान गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए नए-नए लोगों को आमन्त्रित करे, उनका सहयोग ले और बेस काउन्सिल की जरूरतों के अनुसार सहयोग प्रदान करें। हर कार्यकर्ता को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कि वह कम से कम 4 सदस्यों की ही उपस्थिति से अपनी एक बेसकाउन्सिल आरंभ करे जो एक तरह से मूल बेस काउन्सिल का शाखा की तरह ही काम करेगी। इस बात के लिए कार्यकर्ता को पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए और उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। ऐसी बेस काउन्सिल जो उच्चस्तरीय परिषदों से काफी दूर के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उन्हें स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनी गतिविधियों को आयोजित करने की स्वतंत्रता और स्वायत्ता देनी बहुत जरूरी है। गतिविधियों का क्रियान्वयन का मूल ढाँचा पार्टी के 5 मुख्य बिंदुओं पर ही आधारित होना चाहिए।

वही गतिविधि सर्वोत्तम व स्वीकार्य है जो 5 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है और बेस काउन्सिल को विस्तार के मौके प्रदान करती है।

नई बेस काउन्सिल्स को प्रदत्त सभी पार्टी कार्यालय 'प्राविजनल' प्रकृति के होंगे जब तक कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव अधिकारियों को मान्यता न दे देवे या फिर चुनाव परिणामों के आधार पर उनमें फेरबदल न कर देवे।

किसी भी नव निर्मित बेस काउन्सिल केन्द्र का मुख्य कार्य (चार मुख्य सचिव) अन्य सचिवालयों की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को आमन्त्रित करना व काम के लिए तैयार करना है।

प्रत्येक सचिव के लिए यह बेहतर होगा कि वह कम से कम एक सहायक सचिव का प्रावधान अवश्य करें जिससे उसके कार्यों में सुभीता हो सके। इस प्रकार यदि वे उच्च स्तरीय परिषदों की ओर गमन करते हैं अथवा किसी कारण अनुपस्थित हो जाते हैं तो सहायक सचिव रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं।

किसी भी साप्ताहिक बेस काउन्सिल बैठक के सामान्य/आम कार्यक्रम

1. पिछली गतिविधियों और वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन (सूचनाएँ एकत्रित करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, मूल्यांकन आगामी गतिविधियों को प्रस्तावित करना)

2. बेस काउन्सिल एक्शन प्रोग्राम के अनुसार आगामी गतिविधियों के क्रियान्वयन की तैयारी करना, कार्यकर्ताओं में कार्य का विभाजन करना और उत्तरदायित्व सौंपना।

3. सिद्धांतों का स्पष्टीकरण (बैठक के समय का केवल 20 प्रतिशत समय ही वांछनीय है बशर्ते कि पहला और दूसरा बिंदु पृथक बैठक में न उठाया जा रहा हो। पार्टी की आधिकारिक शब्दावली—से चयनित विषयों/बिंदुओं का स्पष्टीकरण।

प्रशासनिक सचिव का यह दायित्व है कि वह बैठक की कार्यवाही का दस्तावेजीकरण करे, वर्तमान एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं के नाम, विषय जिस पर चर्चा हुई, समाधान या निर्णय जो लिए गए, कितने और संगठनों/सदस्यों को जोड़ा गया कितने अखबार बिके, कितने और कहाँ-कहाँ लीफ़लेट्स का वितरण हुआ, हस्ताक्षर अभियान कहाँ चलाया गया इन सबका लेखा-जोखा रिपोर्ट में होना चाहिए। यह रिपोर्ट काउन्सिल के सभी सदस्यों तक पहुँचनी चाहिए, चाहे वे बैठक में उपस्थित थे अथवा नहीं, और एक प्रतिलिपि बेसकाउन्सिल के उच्च स्तरीय सदस्य अध्यक्ष के पास भी पहुँचनी चाहिए।

बेसकाउन्सिल किस प्रकार शुरू की जाए

प्रस्तावना

एक बेसकाउन्सिल ह्यूमनिस्ट पार्टी की संगठनात्मक योजना (स्कीम) की सबसे छोटी इकाई है। अपनी गतिविधियों के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में ही इसे सबसे छोटी इकाई कहा गया है। यह कार्यक्षेत्र मुख्यतः आसपास के मुद्दों पर आधारित होता है, कोई महाविद्यालय या कोई भी कार्यस्थल हो सकता है। कॉलेजों में स्थित बेसकाउन्सिल की संरचना में ह्यूमनिस्ट विद्यार्थी संघ हो सकते हैं। कार्यस्थलों जैसे—उद्योग, कार्यालयों में बेस काउन्सिल की संरचना में ह्यूमनिस्ट ट्रेड यूनियन या श्रमिक संगठन शामिल होंगे।

मुख्यतया: बेस काउन्सिल एक टीम की तरह कार्य करती है। उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी के प्रस्तावों को, कार्यों को, निर्णयों को विस्तार देना है, जुड़ने वाले संगठनों, सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना है, कहने का तात्पर्य यह है कि बेस काउन्सिल की संख्या में वृद्धि करना और उनके कार्यों को प्रचारित करना है और बेस काउन्सिलों को समृद्ध करना है।

चुनावों के दौरान उच्च स्तरीय पार्टी परिषदों द्वारा संयोजित बेस काउन्सिल चुनाव संबंधी अभियान भी संचारित करती है, यदि पार्टी का उम्मीदवार किसी क्षेत्र विशेष में जीत हासिल कर लेता है तो वह बेस काउन्सिल रचनात्मक कार्यों द्वारा ह्यूमनिस्ट पार्टी सरकार को आधार प्रदान करती है। एक टीम के रूप में परिभाषित बेस काउन्सिल भिन्न-भिन्न लोगों, संगठनों या संघों अथवा किसी नेता द्वारा अनुसंधान किए जा रहे समूह से कहीं बहुत अधिक है।

बेस काउन्सिल की गतिविधियों की कार्यकुशलता, स्थायित्व और नियमितता प्रत्येक सदस्य के भिन्न-भिन्न कार्यकलापों व प्रदत्त कार्यों पर आधारित होती है। स्थायी भूमिकाएँ पद

(सचिव) भी हो सकते हैं और अवसरानुसार भी (कार्यकलाप की प्रकृति पर निर्भर करता है) पर हर स्थिति में प्रत्येक सदस्य को कुछ निश्चित कार्यकलापों को करना होता है जिनके पहले से परिभाषित उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं और एक निश्चित अवधि होती है।

बेस काउन्सिल की आवश्यकतानुसार कुछ स्थायी कार्य एवं उद्देश्य भी होते हैं, उदाहरण के तौर पर सभी कार्यकलापों का संयोजन करना (जनरल सैक्रेटरी) सदस्यों और बेस काउन्सिल की संख्या में वृद्धि (ऑरगेनाइजेशन सैक्रेटरी) सामाजिक और राजनैतिक मामलों में उपस्थिति (पॉलिटिकल एक्शन सैक्रेटरी) लिए गए निर्णयों और की गई गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना (डिफ्यूजन सैक्रेटरी) आंतरिक संबंध बनाए रखना और सूचनाएँ एकत्र करना, प्रचारित करना (एडमिनिस्ट्रेशन सैक्रेटरी) फंड रेजिंग कार्यकलाप (फाइनेंस सचिव), अन्स संगठनों से संपर्क (रिलेशंस सैक्रेटरी), समाजकार्य (सोशल अफेयर सैक्रेटरी) परमिट, औपचारिकताएँ आदि (लीगल अफेयर सैक्रेटरी) छपाई, बिक्री, वितरण (पब्लिकेशनस सैक्रेटरी) और भी आवश्यकता आधारित कार्य जो किसी भी बेस काउन्सिल को करने चाहिए।

जब गतिविधियाँ सौंपी नहीं जाती हैं तो बेस काउन्सिल प्रभावशाली नहीं रह पाते। बजाय कि बहुत सी गतिविधियाँ एक साथ की जाए, गतिविधियाँ क्रमानुसार की जानी चाहिए यानी कि एक समय पर एक ही कार्यकलाप किया जाए तो वह कहीं अधिक प्रभावोत्पादक होता है। इस तरह से विकास की गति भी धीमी हो जाती है। बेस काउन्सिल के जनरल सचिव पर भी बहुत सी गतिविधियों का भ्रार आ जाता है। जिसका पिरणाम दिखायी पड़ता है अकुशलता में, कार्यक्रमों की देरी या स्थगन में। औश्र जब सदस्यों के पास कोई काम नहीं होता तो उनका उत्साह भी क्षीण होने लगता है। अतः जब बेस काउंसिल में सदस्य प्रवेश करें तो उन्हें स्पष्ट रूप से एक चेतावनी देनी चाहिए और उस चेतावनी का कड़ाई से पालन भी होना चाहिए : जो भी बेस काउन्सिल की सदस्यता ले रहा/ले रही है, वह परिषद की अकर्मक सदस्य बन कर न रहे अपितु अपने उत्तरदायित्वों व गतिविधियों के संचालन के लिए उसके पास समर्पण की भावना हो, कुछ भी और किसी भी समय काम करने की तत्परता हो। बेस काउंसिल सामाजिक क्लब या समय बिताने के स्थान नहीं हैं

अतः जब तक बेस काउंसिल की स्थापना इसके समस्त सचिवालयों सहित नहीं हो जाती, हमें इसके स्थायित्व के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, कई बार यह भी हो सकता है कि बेस काउंसिल के सदस्य अपनी सदस्यता त्याग दें या फिर बिना सूचना दिए काउन्सिल छोड़ दें।

यद्यपि बहुत सी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो सभी सदस्यों को एक ही समय गुणात्मक तरीके से क्रियाशील रख सकती है जैसे कि कुछ अभियान एवं अन्य कार्य जैसे—एक समय विशेष में लीफलेट्स बाँटना, दान एकत्र करना, हस्ताक्षर अभियान क्रियान्वित करना, ह्यूमनिस्ट अखबार बेचना आदि परन्तु इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो सदस्यों को स्थायी रूप से व्यस्त रख सकें। यह भी हो सकता है कि उपर्युक्त अभियानों और कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और क्रियान्वित करने के लिए जिस तैयारी की जरूरत है, वह भी इन सदस्यों को सौंपी जा सकती है।

अतः जो भी सदस्य नया बेस काउंसिल आरम्भ करे वह इस बारे में अवश्य सचेत रहे कि कार्यों का विभाजन सही तरीके से हो। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि बेस काउन्सिल के कार्य। बेस काउन्सिल के कार्यों के समान विभाजन के बाद अनिवार्य शर्त है—अनुशासन की। यह अनुशासन ही तय करेगा कि काम सही तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं, उद्देश्यों को समय पर प्राप्त किया जा रहा है नहीं। यहाँ पर अनुशासन से

तात्पर्य है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, कार्यकारी बैठकें जिसमें केवल काम की ही बातें हो, अनावश्यक वातावरण को किसी प्रकार से स्थान न दिया जाए। लंबी-लंबी चर्चाओं से बचना चाहिए विशेषकर उन बिंदुओं की उभारने की चेष्टा न की जाए जो सार्थक नहीं हैं। व्यवहारिकता, कम समय में कार्यों को पूरा करने की चेष्टा, कार्य-कुशलता अनुशासन के मुख्य बिंदु होने चाहिए।

बेस काउन्सिल को यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि अगले 12 हफ्तों के लिए उसके पास कौन सी ठोस गतिविधियाँ करने के लिए हैं। इसमें समय-सीमा और उद्देश्यों की भी स्पष्टता होनी चाहिए। अंततः बेस काउन्सिल को उन गतिविधियों को भी अंजाम देना चाहिए जो उच्च परिषदों द्वारा सौंपी गई हैं, या फिर उन्हीं के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित हैं।

अंततः यह कहना अधिक तर्कसंगत होगा कि एक सफल बेस काउन्सिल का तात्पर्य है—क्रियाशील, निश्चित कार्यक्रम, निश्चित उद्देश्य, निश्चित कार्य करने के तरीके अब एक बेस काउन्सिल आरंभ करने के कुछ संभावित तरीकों पर बात करना चाहेंगे।

1. एक सम्पर्क व्यक्ति से आरंभ करना

हमारे प्रचार-प्रसार के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को हमारी पार्टी में रुचि हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं भी बातचीत के जरिए या अन्य किसी भी माध्यम से हम किसी दूसरे व्यक्ति में अपनी पार्टी के प्रति दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। जैसे यात्रा करते समय, कार्य स्थल पर या फिर कॉलेज आदि में। इस व्यक्ति के भी मित्र, संबंधी व पड़ोसी होंगे। सहयोगी अथवा अन्य परिचित होंगे, इस व्यक्ति का अपना एक ऐसा स्थान होगा जहाँ दिन का अधिकांश अथवा कुछ समय जरूर गुजारता होगा/होगी।

अब जब यह व्यक्ति पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहता है, तो हम यह कदापि नहीं चाहेंगे कि यह कहीं दूर आकर उन कार्यकलापों में हिस्सा ले या इसको ऐसी जगह आना पड़े जहाँ पहुँचने के लिए इसे काफी मेहनत करनी पड़े और हम यह भी नहीं चाहेंगे कि यह पार्टी के सिद्धांतों या उद्देश्यों की बातें उनसे करे, जो उसके लिए स्वयं अजनबी व अनजाने हैं। ये सभी बातें हमारे भविष्य के कार्यकर्ताओं को निरुत्साहित करेंगी और उनकी कार्यकुशलता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी।

हम इस व्यक्ति से कह सकते हैं कि वह अपने परिचितों के साथ ही अपने आस-पड़ोस, कॉलेज या कार्यस्थल में बैठक का आयोजन करें जहाँ से गतिविधियों का क्रियान्वयन उसके लिए सुगम हो। यह आवश्यक नहीं कि उस बैठक के लिए वक्ता का कार्य भी वहीं करें क्योंकि हममें से ही कोई उसके परिचितों अर्थात् बैठक में भाग लेने वालों को संबोधित करेगा/करेगी। उसका काम तो केवल इतना ही होगा कि अपने परिचय के आधार पर वह बैठक के लिए निश्चित संख्या में सदस्यों को जुटाएँ जो आगे पार्टी को विस्तार दे सके। हम उन सदस्यों को कुछ लीफ़ लेट्स भी बाँट सकते हैं।

एक निश्चित दिन, समय व स्थान पर एक सूचनात्मक बैठक का आयोजन भी किया जा सकता है। इस मीटिंग का संचालन कौन करेगा? न तो वह व्यक्ति जिसने लोगों को एकत्र किया है और न ही वह व्यक्ति जो पार्टी का सदस्य है और जिसने उपर्युक्त व्यक्ति से संपर्क साधा है। सभा का संचालन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो वास्तव में सभा के संचालन की क्षमताएँ व कौशल रखता हो। उदाहरण के तौर पर जनरल सैक्रेटरी, आर्गेनाइजिंग सैक्रेटरी (किसी भी बेस काउन्सिल के) जो अपने कार्यों के कारण और अपनी इच्छा क्षमता के रहते नए बेस काउन्सिल को खोलने की क्षमता रखते हों।

हमें इस परिचयात्मक बैठक के संचालन का उत्तरदायित्व नए सदस्य या आगन्तुक पर नहीं होड़ देना चाहिए क्योंकि पार्टी के बारे में अनुभव, ज्ञान, जानकारी, उत्साह व विश्वास के मामले में वह अभी परिपक्व नहीं है। ऐसा न करने की स्थिति में हमें असफलता हाथ लग सकती है। सूचनात्मक अथवा परिचयात्मक बैठक को चार मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है जिसके क्रम को स्थितिनुसार बदला जा सकता है—

a. ह्यूमनिस्ट पार्टी की विचारधारा और संगठन के बारे में मुख्य बिंदुओं से अवगत करना। लोगों की समझ और पृष्ठभूमि के अनुसार इस सत्र का निर्धारण हो परन्तु कभी भी बहुत अधिक एक बार में नहीं होना चाहिए। यह सत्र बहुत ही संक्षिप्त हो, सरल और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाए। पार्टी की विचारधारा से हमारा तात्पर्य पार्टी के प्रस्तावों से हैं, उनको लोगों की पृष्ठभूमि के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पर हम जिस ह्यूमनिस्ट पार्टी के संगठन की बात कर रहे हैं, वह है बेस काउन्सिल जैसे—सचिवालय, कार्य, कार्य करने के तरीके आदि।

b. आस-पास के क्षेत्रों, विद्यालयों, कार्यस्थलों की अपेक्षाओं, जरूरतों व समस्याओं के संबंध में राय जानने के लिए चुनाव करवाना। इस कार्य को करने की दिशा एवं उद्देश्य उन मुद्दों की पहचान करने के लिए होगी जिनके आधार पर नई बेस काउन्सिल आरंभ की जाए। सामान्यतः नई बेस काउन्सिल से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपने वास्तविक और तुरंत आरंभ होने वाले एक्शन प्लॉन को सभी के साथ चर्चा करें।

c. कुछ निश्चित चयनित मुद्दों के आधार पर अथवा बिना किसी आधार पर भी, उस व्यक्ति को, जो नई बेस काउन्सिल आरंभ करने जा रहा है, उसे एक सचिवालय दिया जाता है जिससे कि वह कुछ कार्य विशेषों को संपन्न करके दिखा सके। प्रत्येक को कुछ न कुछ ठोस कार्य करने के लिए दिया जाता है। मुख्य बात यह है कि प्रत्येक कार्य इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि सभी सदस्यों की सहभागिता को किसी न किसी प्रकार आमन्त्रित की जाए।

d. गतिविधियों/कार्यकलापों का कार्यक्रम—ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार। प्रत्येक को नई बेस काउन्सिल के बारे में पता होना चाहिए और हर नए सदस्य को अगले 7 से 14 दिनों के भीतर कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रस्तावित बैठकों में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश होंगे—ह्यूमनिस्ट पार्टी की सामान्य बातें, कार्यकलापों और कार्यों का विभाजन/बँटवारा, अगली बेस काउन्सिल के लिए दिन का निर्धारण और सदस्यों को सुझाव कि वे अपने मित्रों को भी लेकर आए।

2. अभियान आरंभ करना

सबसे पहले हम उन मुद्दों की पहचान करते हैं जो आस-पड़ोस, महाविद्यालयों, कार्यस्थलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करें। तब हम किसी ऐसे अभियान की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिससे लोग सहमति प्रकट करें, जो लोगों की समस्याओं के समाधान की ओर कार्य करें, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कार्य करें।

हम जिसभी अभियान की रूपरेखा तैयार करते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं, यह कोशिश अवश्य करते हैं कि उसमें लोगों की बराबर की भागीदारी हो क्योंकि किसी जरूरत को पूरा करने और किसी समस्या के समाधान के साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि पार्टी के बैनर तले बहुत से काम भी हों और नई बेस काउन्सिल भी बनें। अतः

किसी भी अभियान का पहला कदम है अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना। स्वयंसेवियों को आमन्त्रित करने की प्रक्रिया में और अभियान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हम ऐसे अवसरों को सुलभ बनाते हैं जब पार्टी के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा सके, स्वयंसेवियों को आमन्त्रित किया जा सके, व्यक्तिगत और सामूहिक बैठकों के लिए लोगों को आमन्त्रित किया जा सके और इन बैठकों में अभियान से प्राप्त परिणामों की चर्चा की जा सके। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्वयंसेवियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और पार्टी से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को स्पष्ट करना। इस प्रक्रिया के दौरान कार्यों का बँटवारा किया जाता है, नए लोगों से मित्रता स्थापित की जाती है, पार्टी की छवि प्रस्तुत की जाती है। अंततः इन सभी कार्यों की परिणति के स्वरूप नई बेस काउन्सिल आरंभ करने की नींव रखी जाती है जिसमें आवश्यक मुद्दों पर बात की जा सके।

इस तरह से बेस काउन्सिल आरंभ करने का तरीका हमारी पार्टी के सदस्यों की छोटी सी टीम द्वारा अपनाया जा सकता है। जो भी हो, केवल एक सदस्य भी अपने प्रयासों द्वारा किसी भी मुद्दे पर अभियान छेड़ सकता है और जगह-जगह से स्वयंसेवियों से मदद ले सकता है।

3. आम राय चुनाव (ओपिनियन पॉल) आरम्भ करना

आम राय चुनाव किसी खास मुद्दों के आधार पर भी आयोजित किए जा सकते हैं अथवा मुद्दों के बिना भी। एक मुद्दे विशेष से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कोई विशेष समस्या आवश्यकता या अपेक्षाएँ जो आसपास के क्षेत्रों, महाविद्यालयों के सामान्य जीवन को प्रभावित कर रही हों हम लोगों से उन सवालों के जवाब भी माँग सकते हैं जिन सवालों को हम पहले से ही तैयार करके ले गए हों और लोगों से यह भी कह सकते हैं कि वे जो भी कहना चाहते हैं कहें।

यदि हम बिना किसी मुद्दे विशेष के ओपिनियन पॉल करते हैं, हम पहले से ही तैयार किए गए सवालों के माध्यम से मुद्दों का एक नज़ारा तैयार करते हैं या फिर हम सादे कागज और पेंसिल के साथ लोगों के बीच जाएँ और जोग जो भी मुद्दों/समस्याओं के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, उन्हें दर्ज कर लें। इस बात को पहले से ही स्पष्ट करना जरूरी होगा कि पार्टी किन प्रस्तावों और मुद्दों और लोगों की किन शिकायतों पर काम करने का विचार बना रही हैं या काम करना चाहती है, लोगों को इस प्रकार सूचनात्मक बैठकों में आधार प्रदान करने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है। आते-जाते या फिर व्यक्तिगत आधार पर घर-घर जाकर जो संपर्क बनाए गए हैं हमें उन लोगों को सूचनात्मक बैठकों में आमन्त्रित करना चाहिए बल्कि और लोगों को भी शामिल करने का प्रयास करना चाहिए जो हमें ओपिनियन पॉल करने में मदद कर सकें।

4. अभियान ऑपरेशन आरंभ करना

अभियान या ऑपरेशन से हमारा तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जो भीड़ भरे क्षेत्रों और जनता के बीच लोगों को आकर्षित कर सकें राह गुजरते लोग भी हमारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हों और हमें उनको अपनी पार्टी के बारे में बताने के मौके मिल सकें। इन अभियानों और ऑपरेशनों में हम अपने साथ प्लाकार्ड, लीफलेट्स, बैनर ले जा सकते हैं, सिग्नेचर अभियान चला सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर आम राय चुनाव कर सकते हैं, अपना अखबार बेच सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं, किसी से मान्यता दे सकते हैं, ले सकते हैं आदि।

यह सब हम लोगों के बीच आने और उनसे संपर्क स्थापित करने के मौके प्रदान करेगा। लोगों के पार्टी के प्रति आकर्षित करेगा और पार्टी के मुद्दों पर चर्चा करने के अवसर देगा। और शीघ्र ही आयोजित होने वाली सूचनात्मक बैठकों में शामिल होने के मौके देगा। यदि पाँच या छह लोग भी पार्टी के प्रति जरा भी उत्सुकता जाहिर करें तो तुरंत बिना देर किए सूचनात्मक बैठक आमन्त्रित कर लेनी चाहिए।

यह आवश्यक नहीं कि उस स्थान पर तुरंत बेस काउन्सिल आरंभ हो जाए पर यह निश्चित है कि आपरेशन की उन गतिविधियों के आधार पर बेस काउन्सिल की नींव तो डल ही जाती है यानि कि ऐसे लोगों से संपर्क तो स्थापित हो ही जात है जो निश्चित भविष्य में बेस काउन्सिल की नींव रखेंगे।

5. किसी भी संघर्षात्मक मुद्दे से आरंभ करना

जन संचार तथा जनता में फैलने वाली अफवाहों के माध्यम से हमें संघर्षों, तनावों, माँगों और घोटालों के बारे में बहुत सी खबरें मिलती रहती हैं। उपर्युक्त सभी आस-पास ही घटित होते रहते हैं। जैसे कि संस्थाओं, कॉलेजों, कार्यस्थलों आदि। उपर्युक्त सभी स्थितियों में कुछ लोग हिंसा, भेदभाव आदि का भी शिकार हो जाते हैं और फिर वे माँगों के लिए संघर्ष भी करते हैं। जब भी हमें ऐसी किसी घटना का पता चलता है, चाहे हम उससे व्यक्तिगत तौर पर जुड़े अथवा नहीं और चाहे हमारी उनसे किसी भी प्रकार की पहचान हो या नहीं, हम उन तक जरूर पहुँचते हैं जो अहिंसात्मक तरीके से अपनी जरूरी माँगों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम उन तक पार्टी की एक निश्चित बेस काउन्सिल के नाम पर मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम उनकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं।

सामान्यतया: उन्हें कुछ इस प्रकार की मदद की जरूरत होती है जैसे कि अपनी माँगों और मुद्दों के लिए प्रचार और प्रसार, आर्थिक सहायता, कानूनी सलाहें आदि। निसंदेह रूप से हम सब यह व्यक्तिगत रूप से तो नहीं प्रदान कर सकते अतः किसी न किसी प्रकार के बिचौलियों की मदद तो लेनी ही पड़ती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनके आधार पर हम समाचार पत्रों को संपर्क कर सकते हैं, दान इत्यादि माँग सकते हैं, कानूनी सलाहों के लिए वकीलों को संपर्क कर सकते हैं, वाल राइटिंग करवा सकते हैं, लीफ्लैट्स बाँट सकते हैं।

इस प्रक्रिया में, हम पार्टी के लिए एक उदारवादी दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं, हम व्यक्तिगत संपर्क बनाते हैं और अन्ततः समान मुद्दों या समान घटनाओं से उत्पन्न हुई सामान्य स्थितियों के लिए काम को जारी रखने के लिए एक स्थायी बेस काउंसिल की स्थापना करने के लिए वकीलों, दानकर्ताओं, पत्रकारों आदि को आमन्त्रित भी कर सकते हैं।

6. एक बैठक से कहीं अधिक के आधार पर आरम्भ करके

जहाँ हम नया बेस काउंसिल आरंभ करना चाहते हैं उस विद्यालय या क्षेत्र के लिए जो अनिवार्य मुद्दे हैं उन पर वाद-विवाद या किसी भी प्रकार की चर्चा करवा सकते हैं। यह अंतः या बाह्य दोनों रूपों में हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि उपस्थिति बहुत अधिक हो। इस कार्यक्रम में संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य, मुद्दों पर बहस समर्पण के लिए निवेदन, कार्य करने की तत्परता या हाथ के हाथ नया बेस काउंसिल आरंभ करने की कार्यवाही हो सकती है। वाद विवाद में प्रतिभागिता बढ़ेगी, लोगों में आपसी मेल-जोल बढ़ेगा एक-दो ऐसे व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है जो एक समन्वयक का काम करें क्योंकि

कभी-कभी वादविवाद, चर्चाएँ आदि बहुत लंबी होने लगती है अतः समन्वयक उसे नियन्त्रित कर सकता है।

कई बार हमें लोगों के कहने से ही ज़ाहिर हो जाता है कि वे पार्टी के प्रति समर्पित हैं और हमें ऐसे लोगों की पहचान भी हो जाती है जो पार्टी के लिए कुछ करेंगे नहीं और चुपचाप चले जाएंगे।

चर्चाओं, वादविवाद व बातचीत के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—राष्ट्रीय एकता, बढ़ता हुआ साम्प्रदायिकता, राजनैतिक उत्तरदायित्व का कानून, राजनैतिक पार्टियों के कानून और कोई भी स्थानीय मुद्दा/एक बार बैठक के लिए स्थान निश्चित हो जाए, बैठक आरंभ होने से पहले हमें बहुत सी कार्यवाही पहले ही आरंभ कर लेनी चाहिए जैसे वहीं सड़क पर लीफ्लैट बाँटना। बैठक शुरू होने से पहले यह भी जरूरी है कि लोगों को उनके कार्यभार और नियमों के बारे में बता दिया जाए। उपर्युक्त सभी कुछ सुझाव हैं जिनको क्रियान्वित किया जा सकता है। ठोस क्रियान्वयन तो आपकी खुद की समझ पर निर्भर करता है। बेस काउन्सिल एक्शन के लिए मुद्दों का चुनाव किस प्रकार किया जाए और उसे क्रियान्वित कैसे किया जाए?

कुछ उपयोगी दिशा निर्देश-

1. मुद्दे और उनका समाधान—यदि कोई मुद्दा उठा है तो संबंधित बेस काउन्सिल द्वारा संभावित कार्यवाही की जानी चाहिए।
2. मुद्दे की कार्यवाही पार्टी के पाँच मुख्य आधार बिंदुओं के आधार पर ही की जानी चाहिए।
3. मुद्दों को उठाने, उनका चयन करने और अभियान चलाने के लिए 'कार्यवाही किस प्रकार आयोजित की जाती है' में उल्लिखित बिंदुओं से मदद लेनी चाहिए।
4. जिन भी मुद्दों का चयन किया गया है या उस पर जिस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है वह निम्नलिखित के इर्द-गिर्द ही होनी चाहिए।
 - a. पार्टी के सिद्धांतों और लिए गए निर्णयों का प्रचार तथा प्रसार
 - b. नए-नए संघों/लोगों को जोड़ना या पार्टी द्वारा मान्यता देना, अपने कार्यकर्ताओं का क्षमताओं का सकारात्मक उपयोग करने के लिए उन्हें तरह-तरह के कार्यकलापों में जोड़ना, जनता के सहानुभूति और सहयोग हासिल करना
 - c. कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना और एकजुट करना।
5. उपर्युक्त परिणामों व कामों के लिए समय प्रयास और संसाधनों के अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। यह अनुपात की बात हमें किसी मुद्दे विशेष को लेने या त्यागने के लिए आधार प्रदान करेगी।
6. प्रतिरोधों या विरोधों का सामना करने की हमारी कितनी क्षमता है, इस अनुपात से किसी भी मुद्दे को स्वीकार करना चाहिए, यदि ज्यादा बड़ी ताकतों का विरोध करना है तो जरूरी होगा कि मुद्दे को कभी बात में उठाया जाए जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो और स्थिर हो। बेस काउन्सिल का समय और ऊर्जा अनावश्यक और असमय के मुद्दों को उठाने और उनका समाधान प्राप्त करने में नहीं लगाना चाहिए।

7. यद्यपि हमारे द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे और निर्णय सही और समयानुसार हो सकते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी लोग उन्हें अत्यावश्यक मानें। अतः हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों को सकारात्मक दृष्टि से न देखकर अंतःविरोध की दृष्टि से भी देखा जा सकता है।

हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम जिन्हें सही और उचित मानकर चल रहे हैं दूसरों द्वारा उन्हें अनुचित और निरर्थक भी ठहराया जा सकता है।

अतः यह आवश्यक होगा कि हम लोगों की अपेक्षाओं को प्रस्तावों के रूप में स्वीकार करें बशर्ते कि वह उनकी पृष्ठभूमि के अनुरूप हों।

8. मुद्दे से संबंधित जो भी कार्यवाही की जा रही है उसका उद्देश्य या तो केवल जागरुकता उत्पन्न करना हो सकता है या फिर दोनों ही जागरुकता के साथ-साथ समाधान ढूँढना भी। समाधान को प्राप्त करने के साधन बेस काउन्सिल की संभावनाओं, साधनों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। फिर भी हमारे पास सुझावों की एक प्रस्तावित सूची हो सकती है—

लीफ्लैट्स बाँटना, पोस्टर लगाना, वॉल राइटिंग करना, हस्ताक्षरों का संग्रह करना, प्रैसरिलीज निकालना, प्रैस कान्फ्रेंस आयोजित करना वाद विवाद आयोजित करना, रैली मोर्चा संयुक्त कार्यवाहियाँ करना, दान इत्यादि के आधार पर विज्ञापन प्रसारित करना, घर-घर जाकर संपर्क करना आम राय चुनाव आयोजित करना (पहले से निर्धारित सवालों के आधार पर) सूचनात्मक बैठकों, भीड़ भरे क्षेत्रों में प्रदर्शन, पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों को पत्र भेजना, अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों को याचिकाएँ, शिकायतें लिखकर भेजना, असहयोग हड़ताल, शान्तिपूर्वक धरना इत्यादि सूची में शामिल है।

सहभागिता

ह्यूमनिस्ट पार्टी में सभी की सहभागिता बिना किसी भेदभाव के आमन्त्रित है जबकि दूसरी पार्टी भी इस बात का दावा करती है परन्तु एक छिपे तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है।

बहुत सी पार्टी जाति, वर्ग, क्षेत्र, उपनस्ल आदि के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करती हैं भले ही वे इस बात को उभारे अथवा न उभारें।

क्या कोई पार्टी इस बात का दावा कर सकती है कि उसकी पार्टी की नींव जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, धर्म संबंध व संपर्क आदि से जुड़ी है।

ह्यूमनिस्ट कार्यकर्ता

जो सम्बद्ध है अथवा जिसे पार्टी द्वारा मान्यता या एक पहचान दी गई है वह तो पार्टी के कार्यक्रमों से जुड़ा रहेगा/रहेगी, परन्तु जो पार्टी का वास्तविक कार्यकर्ता है वह उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तो समर्पित है ही, इसके साथ-साथ वह क्रियाशील अहिंसा पर आधारित एक राजनैतिक आचार संहिता व राजनैतिक क्रियाओं से भी संबंधित होता है। एक कार्यकर्ता से हम एक क्रान्तिकारी होने की अपेक्षा करते हैं क्योंकि वह आर्थिक और सामाजिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। राजनैतिक संघर्ष, क्रियाशील अहिंसा असहयोग, अवज्ञा की विविधियों को अपनाता/अपनाती है।

एक कार्यकर्ता निम्नलिखित आचार संहिता के मॉडल को अपनाता/अपनाती है—

1. पार्टी के संगठन और विकास में सहभागिता।

2. सुलझाई जाने वाली समस्याओं पर चर्चा।
3. बिना स्थगित किए किन-किन मुद्दों को सुलझाना है, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करना।
4. अपनी पिछली कार्यवाहियों का अवलोकन करके उन्हें परिस्कृत और उन्नत करना।
5. टीम में काम करना।
6. पार्टी जिस-जिस काम को सौंपे उसे निष्ठापूर्वक करना।
7. जो काम नहीं किए जा सकते, उसके लिए जिम्मेदारी नहीं प्रदर्शित करना।
8. हिंसा से अपनी उत्तेजना या भड़काऊपन के प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी/देगा।
9. अधिक से अधिक ऊर्जा/शक्ति को संचारित करने का प्रयास किया जाएगा।
10. एकदम झोस फैसले की ओर अपनी चर्चा को संवाहित करेगा/करेगी।
 - a. समस्या के स्पष्टीकरण के लिए
 - b. समाधान प्राप्त करने की दृष्टि से
 - c. ठोस कार्य नीति अपनाने के लिए।

उपर्युक्त कार्यों की वजह से, अपने उद्देश्यों, विधियों, आचार-संहिता और व्यवहार की वजह से ह्यूमनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता की अपेक्षा भिन्न है।

ह्यूमनिस्ट पार्टी मात्र एक पार्टी नहीं है बल्कि उससे कुछ विशिष्ट है और ह्यूमनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता भी मात्र एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि उससे कुछ विशिष्ट है।

ह्यूमनिस्ट विद्यार्थी एवं ह्यूमनिस्ट ट्रेड यूनियन

ह्यूमनिस्ट पार्टी का उद्देश्य है कि उसका प्रभाव क्षेत्र पर पड़े। अतः यह इस बात के पक्ष में पूरी तरह से है कि ह्यूमनिस्ट विद्यार्थी लाइन और ह्यूमनिस्ट ट्रेड यूनियन की भी स्थापना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों में भी ह्यूमनिस्ट आडियोजोजी का प्रचार-प्रसार किया जाए।

शुरुआत में पार्टी HSL व HTU को प्रेरणा और एक सही एवं निश्चित दिशा देने का कार्य करेगी। इसके पश्चात् ये संघ अपनी स्वायत्ता के साथ अपने-अपने मामलों का चयन कर सकते हैं, वे प्रतिनिधि पदों के लिए चुनावों में भी खड़े हो सकते हैं।

संगठनात्मक रूप से HSL और HTU एक राष्ट्रव्यापी संगठन के रूप में विकसित होने की दिशा में काम करेंगे।

एच.पी. नेशनल कांग्रेस

ह्यूमनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस का आयोजन वार्षिक रूप से पार्टी के विकास के साथ साथ किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा, निर्णयों को एकमत करना होगा, समाधान प्रस्तुत करना होगा, निश्चित कार्यक्रमों की रूपरेखा को स्वीकृत करना होगा, सूचनाओं का आदान-प्रदान होने का तात्पर्य यह है कि एकजुटता, संगठन सहयोग और पार्टी के वास्तविक राष्ट्रीय चरित्र को उभारने की दिशा में कार्य करना होगा।

अनुशासनात्मक बोर्ड

आवश्यकता पड़ने पर इन्क्वायरी बैठायी जा सके, दंड विधान प्रस्तुत किया जा सके इसके लिए डिस्प्लीनरी बोर्ड को नियुक्त किया गया है।

इसका उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है—यदि कोई सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त संगठन आचार संहिता का उल्लंघन करता है, किसी न किसी प्रकार पार्टी के अच्छे नाम, यश, छवि और आंतरिक एकजुटता को नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करता है या फिर ऐच्छिक रूप से पार्टी की युक्तियों, नीतियों, सिद्धांतों और कार्यवाहियों का विरोध तथा बहिष्कार करता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि टीम भावना को जो जरा भी क्षति पहुँचाए या अविश्वास जाहिर करे उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

उदाहरण के तौर पर उन सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार करना जो पार्टी और पार्टी के सदस्यों के लिए अपरिचित व अन्जाने हैं, पार्टी के नाम और फंड का दुरुपयोग करना, ह्यूमनिस्ट पार्टी के पद पर रहते हुए दूसरी पार्टी के लिए कार्य करना हिंसात्मक तरीकों को अपनाना, सदस्यों तक सूचनाएँ न पहुँचाना या फिर पार्टी सदस्यों को पार्टी के उच्च अधिकारियों से न मिलने देना अथवा किसी अन्य अपराध में संलग्न होना या दोषी पाया जाना।

उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी स्थिति में पार्टी काउन्सिल की स्थापना की जायेगी जो संभवतया: पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर ही बनेगी, इसका काम इन्क्वायरी करना, रिपोर्ट तैयार करना और संबंधित काउंसिल से उसे स्वीकृत करवाना होगा। दंड विधान या जुर्माना अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर निश्चित किया जाएगा। हो सकता है मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए जो भी नुकसान पहुँचाया है उसकी भरपाई के साथ या फिर अस्थायी रूप से पार्टी से निलंबित किया जा सकता है। पार्टी कार्यालय से निकाला जा सकता है, स्थाई या अस्थायी रूप से दूसरी पार्टी से जुड़ने के लिए भी अयोग्य ठहराया जा सकता है और सार्वजनिक अधिकारिक घोषणा के साथ पार्टी से भी निलंबित किया जा सकता है।

फंड

पार्टी का फंड अपने सदस्यों और सहयोगियों के प्रयासस्वरूप इकट्ठा किए गए दान और योगदान के आधार पर तैयार होता है। दान उसी शर्त पर स्वीकार किए जाते हैं जब पार्टी के सिद्धांतों और मतों की अवहेलना न की जाए या फिर उनके विरुद्ध जाकर दान किसी भी कीमत पर स्वीकृत नहीं किया जाता। हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि कभी भी किसी एक ही स्रोत से फंड/दान न लिया जाए क्योंकि उससे अनुचित लाभ उठाने की आशंका बनी रहती है।

छोटे, मध्यम तथा बड़े-बड़े उद्यमियों से आधार और फंड प्राप्त करने की चेष्टा रहती है जो उद्यमी सरकारी नीतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रभावित हैं वे भी पार्टी का फंड जुटाने में मदद कर सकते हैं।

विदेशी स्रोतों से भी फंड जुटाने की छूट है। यद्यपि पार्टी के दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से अपने पर ही निर्भर करता/करती है या फिर अखबार बेच कर अपना खर्च जुटाया जा सकता है या फिर किसी भी प्रकार के अभियान आयोजित करके भी खर्च जुटाया जा सकता है। पार्टी फंड से कोई भी सदस्य अपनी आजीविका नहीं जुटा सकता—

फंड	स्रोत	उपयोग
बड़ी संख्या	बड़ी राष्ट्रीय कंपनियाँ	चुनाव अभियान (अवसरों के अनुकूल कभी कभी)
मध्यम संख्या में	छोटे आकार वाली राष्ट्रीय कंपनियाँ	चुनाव अभियान (अवसरों के अनुकूल कभी कभी)
छोटी संख्या	छोटी राष्ट्रीय कंपनियाँ दूकानें, सहयोगी द्वारा दिया गया दान अखबार बेच कर	बेस काउन्सिल की रोज की कार्यवाहियाँ

आंतरिक चुनाव

सभी काउन्सिलों के सचिवालयों का चुनाव करने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर ह्यूमनिस्ट पार्टी के आंतरिक चुनाव वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक काउंसिल (राष्ट्रीय, राज्य, जिला आदि) सभी सचिवालयों को कवर करती हुई उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करती है।

सचिवालयों की संख्या और कार्य जरूरतों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और हर चुनाव में इन्हें पुनः परिभाषित किया जाता है। यद्यपि चार सचिवालय बहुत ही प्रमुख और

अनिवार्य हैं—

सामान्य (जनरल) संगठन, राजनैतिक एक्शन और प्रसार (डिफ्यूजन) उम्मीदवारों को अलग-अलग स्तरों और क्षेत्रों से नामांकित किया जाता है। उम्मीदवारों को नामांकित करने का आधार होता है—उम्मीदवारों को नामांकित करने का आधार होता है—

वे अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने सबसे अधिक बेसकाउन्सिल संगठित की हों और उन्हें क्रियाशील स्थिति में लाकर छोड़ा हो या फिर जिन्होंने सबसे ज्यादा सदस्यों/संघों/इकाइयों को जोड़ा हो और उन्हें पार्टी से मान्यता दिलवाई हो या फिर जिन्होंने भिन्न-भिन्न क्रियाओं के लिए सबसे अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा हो, अखबार की सबसे ज्यादा प्रतियाँ भेजने में सक्रिय भूमिका निभाई हो, फंड रेजिंग कार्यों में प्रचार-प्रसार के कार्यों में बहुत ज्यादा क्रियाशीलता दिखाई हो, जिसे पार्टी के सिद्धांतों की स्पष्ट समझ हो और जिसने अवसरों के अनुसार कुछ विशेष कार्य भी करके दिखाएँ हों यह जरूरी नहीं कि उसके कामों से पार्टी के विकास व वृद्धि को तुरंत फायदा पहुँचा हो, कई बार दूरगामी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे—नए शहरों में, राज्यों में पार्टी के संगठनों जैसे विद्यार्थी केन्द्र, ह्यूमनिस्ट ट्रेड यूनियन की स्थापना करना आदि।

पार्टी में सक्रिय सहभागिता की एक न्यूनतम समय सीमा होनी जरूरी है जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि उम्मीदवार को पार्टी के सिद्धांतों की समझ है अथवा नहीं और शैक्षिक योग्यताओं तथा कार्य शैली को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक पार्टी लाइन इच्छानुसार उम्मीदवारों को नामांकित कर सकती है।

उम्मीदवारों की संख्या इस आधार पर तय की जाती है कि जीतने पर वे कितने सचिवालयों को कवर कर पाएँगे।

पूर्व अनुभवों के आधार पर और वर्तमान मजबूत पक्षों को मुद्दे नज़र रखते हुए ऐसा तय किया जा सकता है।

इस प्रकार हर पार्टी लाइन द्वारा अपने उम्मीदवारों की एक सूची भेजी जाती है इसी के समान्तर सचिवालय भी अपनी तरफ से उम्मीदवारों की एक सूची भेजते हैं।

हर पार्टी लाइन और उम्मीदवार को यह पहले से ही जानना जरूरी होगा कि वे किस सचिवालय के लिए कार्य करनापसंद करेंगे, हालांकि यह चुनाव परिणामों द्वारा भी सुनिश्चित किया जाता है।

इस प्रकार हर पार्टी लाइन, हर काउन्सिल अपने सम्बद्धों की चुनाव संबंधी सूची तैयार करती है इस तैयारी की भी एक समय सीमा होती है। इसके बाद के दिन तो तरह-तरह से चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार के दिन (कनवैसिंग) होते हैं।

चुनाव क्षेत्र (सर्किट) पोलिंग बूथ सभी निश्चित होते हैं। पोलिंग एजेन्ट और सुपरवाइजर नियुक्त किए जाते हैं, बैलट कार्ड और चुनाव सूची/पत्र छपवाए जाते हैं पोलिंग बॉक्स बनाए जाते हैं। परिचय से संबंधित दस्तावेज व अन्य सामग्री भी तैयार की जाती है।

चुनाव (पोलिंग) और गिनती की प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनके नियन्त्रण के लिए चुनाव कमेटी नियुक्त की जाती है।

चुनाव के दिन और समय, संबद्ध पोलिंग बूथ आते हैं और उम्मीदवारों की एक ही सूची के आधार में अपना बैलट कार्ड डालते हैं। (नोट न0 3 देखें) चूँकि हर संबद्ध को एक पार्टी लाइन और बेस काउन्सिल विशेष द्वारा संपर्क किया जाता है, अतः हर कार्यकर्ता, बेस काउन्सिल और पार्टी लाइन द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या को सुनिश्चित करना आसान

होता है। यही पार्टी के चुनावों के परिणाम होते हैं।

चुनाव समितियाँ चुनाव परिणामों के आधार पर सचिवालयों को उम्मीदवार बाँट देती हैं। यह काम एक बहुत ही आसान से गणित आधारित फार्मूला के आधार पर किया जाता है जिसे 'O' Hant कहते हैं। हर पार्टी लाइन और हर उम्मीदवार के लिए सचिवालयों की संख्या और चयन निष्पक्ष रूप से किया जाता है।

चुनाव में प्राप्त वोटों की कुल संख्या को 1, 2, 3 आदि मतलब प्रतियोगी सचिवालयों की संख्या से विभाजित किया जाता है। अब प्रत्येक पार्टी लाइन के लिए सदस्यों की एक शृंखला सी तैयार हो जाती है। ये सभी नंबर जो भिन्न-भिन्न पार्टी लाइनों से संबंध रखते हैं घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार वह पार्टी लाइन जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, सबसे पहले सचिवालय का चयन कर लेती हैं, उसके बाद जिस पार्टी लाइन के अधिकतम नंबर है वह सचिवालय का चयन करती है। सचिवालयों के चयन की प्रक्रिया के साथ ही, जिन उम्मीदवारों द्वारा उन्हें कवर किया जाना है उनके नाम भी चयनित कर लिए जाते हैं।

हमारी पार्टी का अख़बार

‘द ह्यूमनिस्ट वायस’ अख़बार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- पब्लिक तथा हमारे अन्य संबद्धों के लिए पार्टी के सिद्धांतों और मतों का अधिकारिक स्पष्टीकरण करता है।
- सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए आयोजित बैठकों में एक अधिकारिक साहित्य की तरह काम करता है।
- यह प्रचार-प्रसार और राज्य में पार्टी की क्रियाशीलता व उपस्थिति का भी माध्यम है। जब-जब पब्लिक स्थानों में इसकी बिक्री होती है यह पार्टी की अति क्रियाशीलता को दर्शाता है।
- यह एक प्रकार से पार्टी कार्यकर्ताओं की क्रियाशीलता और योगदान को भी दर्शाता है जैसे वे लेख लिखते हैं, ग्राफिक सामग्री देते हैं, अनुवाद करते हैं, छपाई का काम भी करते हैं।
- अपने सदस्यों के बीच सूचनाएँ सम्प्रेषित करके, भिन्न-भिन्न बेस काउन्सिल की गतिविधियों के बारे में समाचार छापकर यह एक संपर्क का माध्यम भी है। इसके द्वारा रिमाइंडर, सूचनाएँ, प्रस्ताव और उच्च काउंसिल की और बहुत सी सूचनाएँ व आदेश भी संप्रेषित किए जाते हैं।
- यह फंडरेजिंग के लिए आर्थिक आधार भी प्रदान करता है और इसे बेचकर भी कुछ सीमा तक पैसा जुटाया जाता है।

पार्टी ने इस अख़बार के कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं में लेख लिखे जाते हैं और छपाई व वितरण होता है।

पार्टी के सभी सदस्य अख़बार को किसी न किसी प्रकार से योगदान देने के लिए स्वतंत्र हैं।

लेख लिखने के लिए कुछ आवश्यक व उपयोगी निर्देश—

- लेख का चयन करने व लिखने के लिए पार्टी के पाँच मूलभूत बिंदुओं को

अवश्य ध्यान में रखा जाए।

- b) किसी भी समाचार, रिपोर्ट या मुद्दे को उभारते समय ये सात बिंदु जरूर ध्यान में रखे जाए—क्या, क्यों, कब, किसे लिए, कौन, कहाँ और कैसे?
- c) अपने विषय को स्पष्टता और संक्षिप्तता के साथ लिखें।
- d) पार्टी के सिद्धांतों के प्रकाश में इसका विश्लेषण करें।
- e) अपने स्वयं के विश्लेषण व परिणामों का उल्लेख करें।
- f) निष्पक्ष आलोचना, समाधान व कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- g) अपने प्रस्तुतीकरण को दमदार बनाने के लिए उदाहरण, संख्या, वर्गीकरण, तुलना आदि प्रस्तुत करें।
- h) अपनी सूचना का स्रोत भी प्रस्तुत करें।

परिशिष्ट

कुछ मुख्य अभियान

राष्ट्रीय एकता के लिए—

‘भारत एक है और सभी भारतीयों के लिए है’ इस नारे के अन्तर्गत यह अभियान 1985 सितम्बर में चलाया गया।

(द ह्यूमनिस्ट नवम्बर 1985 देखें) यह अभियान अन्य मुख्य गतिविधियों के साथ—साथ आप भी एक निश्चित उद्देश्य के साथ चल रहा है।

ह्यूमनिस्ट पार्टी के लिए राष्ट्रीय एकता मात्र देश की विविधता को स्वीकार करना नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक बढ़कर है। अपने सम्प्रदायों और समुदायों में संप्रेषण व सहयोग को बढ़ाकर, दिल से प्रयास करके हम राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भिन्न—भिन्न समुदायों को भूत यानि कि बीते हुए समय की बातों को भुलाना होगा। पिछले जो भी कड़वे अनुभव रहे उन्हें दफ़नाना होगा और संप्रेषण की नई राहों को खोजना होगा। और ऐसी सामयिक व्यवस्था की नींव डालनी होगी जहाँ मनुष्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाए और पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित की जाए।

इस प्रकार हम अपने कार्यकर्ताओं में सबसे पहले यह भावना विकसित करते हैं कि वे ये सोचें, महसूस करें कि वे पहले मनुष्य हैं और भारतीय हैं और इसी सोच के मद्देनजर वे अपने सभी कार्य करें।

निराशावादी, साम्प्रदायिक या हिंसा में विश्वास रखने वाले या अन्य प्रकार की मानसिकता और सिद्धांत को मानने वाले लोग इस बात से इंकार नहीं करेंगे क्योंकि आज उनके स्वयं के हित उनके काम करने के तरीके और वे स्वयं वर्तमान स्थितियों के लिए उत्तरदायी है।

सबसे पहले पार्टी का यह प्रयास रहता है कि वह संप्रदायिकता के खतरों से अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करवाएँ। और राष्ट्रीय एकता की ओर उनकी सोच को प्रवृत्त करें। क्रोध, घृणा, डर, अविश्वास, भेदभाव की शृंखला को तोड़ने का ऐतिहासिक कार्य करें और जो भी बड़े लोग इन चीजों का बीजारोपण कर रहे हैं उनका अहिंसात्मक तरीके से विरोध करें।

कुछ सुझाव

- यदि आपके नेता चाहे वे राजनीतिज्ञ हैं, स्वामी, पुजारी, मुल्ला, महंत या आपके सम्मानित वृद्ध जन हैं और आपको संप्रदायिक रूप से विभक्त होने के संदेश देते हैं तो बिना डर व यश के साथ उनकी बातों को नकारिए और उन्हें अनुसरण करने के अयोग्य ठहराइए।
- इस बात की गॉठ बाँध लीजिए कि आपको दूसरी जातियों, सम्प्रदायों के लोगों के साथ मिलकर चलना है उनकी रीतियों, समस्याओं विश्वासों आदि को स्वीकार करना है। अपने आपको उनकी स्थिति में रखकर देखने की कोशिश करें।
- दूसरों की क्षमताओं, सामर्थ्य, चरित्र और गुणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को उसके संप्रदाय या नस्ल की सामान्य विशेषताओं के आधार पर नहीं आँकना चाहिए।
- अंतः सम्प्रदायिक एकरूपता और मेलजोल को समुन्नत करने वाले संगठनों के साथ काम करने की इच्छा को पूरा करना चाहिए।

राजनैतिक उत्तरदायित्व के कानून के लिए

बहुत से व्यवसायिक राजनीतिज्ञ अपने चुनाव के समय किए गए वायदों को निभाते नहीं हैं इस प्रकार जनता के विश्वास को तोड़कर उनके साथ धोखा करते हैं। चूँकि इस संबंध में किसी भी प्रकार के कानून का प्रावधान नहीं है अतः बहुत से लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सरकारी पदों पर भी पहुँच जाते हैं। इस तरह के राजनैतिक दाँव पेंच और दुरुपयोग को रोकने के लिए एच.पी. एक कानून का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है—राजनैतिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय कानून। (यदि आवश्यक हो तो अग्रिम चुनाव का प्रावधान हो सकता है)

यदि आप एक नया रंगीन टेलिविजन सैट खरीद रहे हैं, जब आप घर आकर उसे खोलते हैं तो पाते हैं कि वह केवल ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ही दे रहा है, आप क्या करेंगे? आप या तो तुरंत पैसा वापिस माँगेंगे या फिर तुरंत उसे वापिस कर नया कलर टी.वी. चाहेंगे। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे?

इसी प्रकार, यदि आपने किसी राजनीतिज्ञ को केवल इसीलिए चुना है कि उसने चुनाव अभियान के समय उसने कुछ विशेष वायदे किए थे और चुनने के बाद वह उन वायदों के लिए कुछ भी नहीं करता, आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में शायद आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता।

जब पुराने राजनीतिज्ञ तानाशाही के स्थान पर प्रजातंत्र के लाभ की चर्चा करते हैं तब वे इसी बात को उभारते हैं कि नागरिक अधिकारियों को अयोग्य, अकर्मण्य व अक्षम पाने पर नकार सकते हैं और उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

पर पाँच वर्ष के कार्यकाल वाली सरकार में एक राजनीतिज्ञ किसी भी तरह का नुकसान

पहुँचा सकता है।

सबसे बड़ा नुकसान तो वे यह पहुँचाते हैं कि लोग प्रजातंत्र जैसी व्यवस्था पर अविश्वास करने लग जाते हैं।

और इस प्रकार की बातें सुनाई पड़ती हैं—“देखिए, मेरे से राजनीति की बातें मत करिए। एक राजनीतिज्ञ ने वायदा किया था कि वह कुछ ही समय के भीतर यह कर डालेगा/डालेगी और अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है। और बाकी राजनैतिक नेता भी यही कुछ करते हैं। मैं राजनीतिक पार्टियों पर अब विश्वास नहीं करना चाहता। कोई भी भ्रष्टार को दूर नहीं कर सकता। राजनीति एक गंदा खेल है।”

यदि लोगों की एक बड़ी संख्या इस प्रकार हतोत्साहित होती है और निराशाजनक विचार रखती है तो वह स्वयं प्रजातंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है।

लोग राजनैतिक प्रतिभागिता से कतराने लगते हैं और समाज में अराजकारी, अनैतिक शक्तियाँ उभरने लगती हैं। इस प्रकार राजनैतिक पार्टियाँ केवल स्वयं के हित साधने का साधन मात्र बन जाती हैं। समस्या से मुख मोड़ लेने से समस्या न तो सुलझती है नहीं दूर होती है अपितु और भी बढ़ जाती है। साथ ही यह कुछ अनैतिक शक्तियों को भी आमन्त्रित करती है जो नीयत से तानाशाह होते हैं और वे प्रजातांत्रिक व्यवस्था की असफलता का लाभ उठाते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं कि कमियाँ हैं। ये कमियाँ उस समाज का हिस्सा होती हैं जिसमें कि वह विकसित होती है। हम प्रजातंत्रा को एक सशक्त निश्चित ठोस निष्पक्ष व्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं।

“पेशेवर” और एक व्यापार की तरह राजनीति

ऐसा क्यों होता है कि राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव से पहले कई तरह के वायदे करती हैं फिर उन्हें पूरा कर नहीं पाती और पूरा करने से कतराती हैं।

क्या यह अक्षमता के कारण हैं? धोखा है? अपनी ताकतों/कमजोरियों की पहचान होने के कारण है? भ्रष्टाचार है? स्वयं के हित हैं? या फिर इन सभी के कारण हैं?

जो भी हो, यह तो निश्चित ही है कि पारम्परिक राजनीति, जैसा कि हम जानते हैं, उन पेशेवर राजनीतिज्ञों का व्यापार मात्र है जो केवल सत्ता के लालची हैं। उनके लिए राजनीति एक पेशा है और उनकी पार्टियाँ एक फायदा पहुँचाने वाली कम्पनियों की तरह हैं। वे प्रबंधक हैं जो उन परिस्थितियों और पदों पर अपना हक जमाते हैं। युवाओं को वह श्रमजीवी की तरह देखते हैं और उनमें पोस्टर चिपकवाने, वाल राइटिंग करवाने और आंतक कायम करने के काम करवाते हैं।

और नागरिक? हम नागरिक उनके ग्राहक हैं। हम क्या करते हैं? जिन स्थितियों में हम जी रहे हैं, उन्हें सुधारने के लिए, उन्नति करने के लिए और एक व्यक्ति तथा सामाजिक समूह की तरह रहने, जीवन व्यतीत करने के लिए हमें निश्चित रूप से कुछ माँगे रखनी चाहिए।

व्यावसायिक राजनीतिज्ञ लोगों की माँगों और इच्छाओं के आधार पर अपना चुनाव अभियान तय करते हैं वे कहते हैं—हम अपने प्रशासन को सुधारेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे और कुछ तो लोगों की अनुचित माँगों को भी अपने अभियान का हिस्सा बना लेते हैं जैसे—“हम बाहर वालों को खदेड़ देंगे, वे चिल्लाते हैं, हम अपनी ही सत्ता कायम करेंगे।”

कोई भी यह नहीं बताएगा कि जो—जो वायदे किए जा रहे हैं आखिर वे उन्हें किस प्रकार पूरा करेंगे, कब करेंगे। और जो उम्मीदवार जीत जाता है वह चीजों को ठीक उसी

प्रकार से करता है जिस तरह से स्वयं उसको फायदा पहुँचे। और यदि कोई शिकायत करता है—जैसाकि टी.वी. सैट के बारे में, उत्तर कुछ इस तरह के होते हैं—कुछ इस तरह की जटिलताएँ हैं जो महसूस नहीं की जा सकती, मैं भी चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए पर आप तो देख ही रहे हैं, भई विरोधी पार्टी बहुत मजबूत हैं। भई मुझे सहयोग ही नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले और बहुत सी जरूरतें और प्राथमिकताएँ हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। हम स्थिति को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब बहुत ही उकताहट भरा थकाऊ हो जाता है और कभी—कभी शिकायत करने वाले पर लाठी चार्ज भी किया जाता है। और इस प्रकार एक ठगे जाने भावना हम सबके भीतर धीरे—धीरे रमने लगती है। हमारे अपने ही बीच फूट पड़ने लगती है, सरकार की व्यवस्था को दोषी ठहराने लगते हैं और पूरा समाज कुछ भ्रष्टाचारी लोगों के चंगुल में फँस जाता है।

संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जो लोग प्रजातंत्र और देश के विरुद्ध काम करते हैं वे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो लोकप्रियता और अविश्वास को तोड़ते हैं और उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही भी नहीं की जाती।

लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी

ऊपर जो भी लिखा है : उसका समाधान है। यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ऐसे धोखा देने वालों के विरुद्ध वे कार्यवाही करें और उन्हें उनके पद से उतार फेंके। इसलिए राजनैतिक उत्तरदायित्व का एक कानून होना बहुत जरूरी है। जिसके आधार पर सभी राजनैतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार अपना एक सरकारी कार्यक्रम प्रस्ताव जमा करेंगे। एक अनुबंध की तरह यह कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कहेगा कि उपर्युक्त काम निश्चित अवधि तक न होने पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है यदि कोई प्राकृतिक यदि सामाजिक परिस्थिति के रहते कुछ रुकावट या देर होती है तो उसके लिए वैकल्पिक एक्शन/कार्यवाही होनी चाहिए। चुनावी अभियान और इस सरकारी कार्यक्रम में एकरूपता होनी चाहिए। चुनाव जीतने के पश्चात् और अपने चुनावी कार्यक्रमों को पूरा न कर पाने की स्थिति में राजनीतिज्ञ को राजनैतिक ट्रायल की स्थिति से गुजरना होगा और यह ट्रायल 'लोकप्रिय विश्वास के विरुद्ध घोटाले' के कारण किया जाएगा।

विधानसभा क्षेत्रों की जनता या संबंधित पक्षों के कहने पर आधार पर सांसदों, विधायकों पार्षदों के विरुद्ध इस प्रकार के ट्रायल लिए जाएंगे।

किसी राज्य विशेष या पूरे देश की जनता के निवेदन पर इसी तरह की प्रक्रिया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के लिए भी अपनायी जा सकती है। सभी पार्टियों की एकमत सलाह से लोगों की सहायता, प्रक्रिया के जरूरी मशीनरी—आदि की प्रतिशतता तय की जा सकती है।

साथ—साथ लोगों में भी इस बात की चर्चा कर उनकी सलाह जानी जा सकती है। जनाधार पाने के लिए हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए जा सकते हैं। किसी आयोग या ऐसी समिति की स्थापना की जा सकती है जो लगातार मुख्य मुद्दों पर लोगों की आम राय जानता रहे और उनका विश्लेषण कर सके।

राजनीतिज्ञों को यह अधिकार नहीं होगा कि वे राजनैतिक ट्रायल के समय किसी प्रकार की माफी मांगें, या अपने बचाव के लिए तर्क दें जो कि उनके चुनावी सरकारी कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। और ट्रायल से जुड़ी शक्तियाँ यानी कि अधिकारी सरकार व जनता से क्या ठोस वायदे किए गए हैं और क्या वास्तविक स्थिति हैं, केवल इसी पर अपना ध्यान देंगी।

पॉलिटिकल ट्रॉयल

पॉलिटिकल ट्रॉयल किसी सर्वउपयुक्त न्यायिक अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए और कम से तीन जज तो शामिल होने ही चाहिए।

इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने वाले को अपने पद से तुरंत हट जाना होगा और उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों की भी उस ऑफिस तक पहुँच को अवरुद्ध कर देना चाहिए।

इस सबके अतिरिक्त उस पर यह प्रतिबंध होना चाहिए कि वह आगामी दो सरकारों के कार्यकाल तक न तो कोई चुनाव में शामिल हो और नहीं किसी पब्लिक कार्यालय में कार्य करें।

यद्यपि उसे इस बात का मौका अवश्य दिया जाएगा कि वह अपने क्षेत्र की जनता से मिले और जनता को निर्णय को मानने या वीटो करने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर 60 दिन के भीतर दुबारा चुनाव करने का प्रावधान किया जाएगा। संबंधित कार्यालय मौजूदा कानूनों के आधार पर ही कार्य करेंगे। यह निश्चित है कि यह ट्रायल राजनीतिज्ञ के विरुद्ध उन सभी केसों से अलग होगा जो राजनीतिज्ञ के विरुद्ध फाइल किए गए हैं।

जैसे ही यह स्पष्ट होता है, प्रजातंत्र में सुधार की आशा की जा सकती है। इस तरह से जनता के पक्ष में कुछ उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि चुनावी अभियानों के दौरान वायदों को पूरा न करना यदि अपराध की श्रेणी में आ जाए तो ये राजनीतिज्ञ किस प्रकार से बात करेंगे—

यदि कोई भी राजनेत्री/राज नेता इस तरह के कानून के ड्राफ्ट को नहीं मानता या किसी भी तरह का आधार प्रदान नहीं करता तो एच.पी. जब सत्ता में आएगी तो राजनैतिक उत्तरदायित्व के कानून को पारित करेगी।

वास्तव में स्थिति बहुत आसान और बदली हुई होगी जब पारंपरिक पार्टियाँ भ्रष्टाचारी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी से बेदखल कर देंगी। यदि राजनीतिक पार्टियाँ स्वयं ही अपने उम्मीदवारों से उनके असफल हो जाने पर, कार्यों को न करने पर सवाल पूछें और उन्हें उनके पद से हटा दे तो भी स्थिति बहुत आसान होगी। पर वर्तमान स्थिति में ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता। फिर भी क्या यह सब सुनने में अच्छा नहीं लगता जब स्थिति कुछ इस प्रकार की होगी—श्रीमान आपको इतने लोगों ने वोट दिया एक सरकारी कार्यक्रम चलाने के लिए। यह माननीय न्यायालय आपको दोषी पाता है कि आपने लोगों के विश्वास को तोड़ा है और अपने चुनावी अभियान के दौरान किए गए वायदों को भी पूरा नहीं किया है। इसलिए यह माननीय न्यायालय आपको, आपके अधिकारियों को आपके पद से हटाता है जहाँ कि आप अब तक काम कर रहे हैं।

बशर्ते...

इस राजनैतिक उत्तरदायित्व की संभावनाएँ चुनावी वायदों को पूरा करने से कहीं और बढ़कर है। यह उत्तरदायित्व बड़े ही व्यवस्थित रूप से किसी भी सरकारी एक्शन या सरकार द्वारा काम न करने की स्थिति के खिलाफ भी जा सकता है।

- यदि नियम भंग किए गए हैं या कानूनों का अतिक्रमण किया गया है (राष्ट्र, राज्य या निगम स्तर पर)
- यदि नगरपालिका संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं को भंग किया गया है।

- सुविधा, जटिलता या उदारता के कारण अपने निश्चित कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। यह उत्तरदायित्व का कानून राजनीतिज्ञ पर केवल तब तक ही लागू नहीं होगा जब तक कि वह अपने कार्यालय में हैं बल्कि इसकी अवधि उससे आगे भी होगी। वे लोग जिन्हें काम न होने के कारणों से नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है या जिन्हें किसी प्रकार का नुकसान हुआ है वे सरकार, सरकारी अधिकारी या फिर राजनैतिक पार्टी से 'कम्पनसेशन' की माँग कर सकते हैं। यदि किसी को भी इस वस्तुस्थिति से किसी प्रकार का लाभ पहुँचा है तो या पार्टी को किसी प्रकार नुकसान पहुँचा है तो वह सब कुछ लौटाना होगा।

इस प्रकार जो सही नहीं है, वह सब करने का कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा और नहीं करने के लिए किसी को मौका दिया जाएगा।

अन्ततः

एच.पी. ईमानदार और निष्कपट राजनीतिज्ञों, राजनैतिक पार्टियों, वकीलों जन संस्थानों और आम जनता जिसने कि राजनैतिक हिंसा के परिणामों को भोगा है, के आधार व सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है।

साथ ही साथ उत्तरदायित्व के इस कानून के लिए हम राजनैतिक लोगों और पार्टियों से सम्पर्क कर रहे हैं इस ड्राफ्ट को हम एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। हम इसे हर सरकारी स्तर पर लागू होने वाले राष्ट्रीय कानून के रूप में देख रहे हैं।

यदि यह पारित हो जाता है यह प्रजातंत्रा के फायदे के लिए होगा और पूरे देश के हित में होगा। यह प्रशासन की स्वच्छ छवि प्रस्तुत करेगा, राजनीति को नया रूप देगा और संसार के सामने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

इस कानून का कौन विरोध करेगा? या उसके विरुद्ध किस प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं? कौन चुप रहेगा? यह सभी लोग देखेंगे और निर्णय करेंगे।

जो भी हो, यदि राजनैतिक उत्तरदायित्व का कानून पारित नहीं होता है ह्यूमनिस्ट पार्टी के सदस्य सरकार तक पहुँचेंगे और इसे पारित करवाएँगे और इस प्रकार यह सभी राजनैतिक पार्टियों एच.पी. पर भी लागू होगा।

राजनैतिक पार्टियों के कानून के लिए

हमारी संसदीय प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है। यानी कि यह वह व्यवस्था है जिसमें लोगों

द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अधिकतर संदर्भों में ये सभी प्रतिनिधि उन संगठनों से आते हैं जो राजनीतिक पार्टियाँ कहलाते हैं। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ ही हमारे देश को चलाती हैं। वे निश्चित करती हैं कि हम कितना कमाने जा रहे हैं हमें कितने टैक्स अदा करने होंगे, बच्चों को किस तरह से शिक्षित किया जाए, हम क्या खरीद सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं आदि—आदि।

वे हमारे लिए यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या

नहीं करनी चाहिए सच्चाई तो यह है कि इन्हें इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सुंदर व गुणवत्ता प्रदान करने के लिए कहाँ तक मुक्त व स्वतंत्र है? यह सीमा भी राजनैतिक पार्टियाँ तय कर लेती हैं, ढाँचा भी वही तय करती हैं और हमारे वजूद के बारे में भी वही निर्णय लेती हैं।

अब, कौन क्या-क्या सीमाएँ सुनिश्चित करेगा? कौन-कौन से ढाँचे तय करेगा और राजनैतिक पार्टियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी कौन तय करेगा? फंड, आंतरिक प्रजातंत्र और सदस्यता संबंधी रिकार्ड के संबंध में किसके क्या उत्तरदायित्व है यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है।

सभी जानते हैं कि इस तरह के उत्तरदायित्व अभी सुनिश्चित नहीं किए गए हैं। अतः उदाहरण के लिए, एक ऐसी पार्टी जिसके काले धन की हैण्डलिंग अस्पष्ट है वह भद्र बनने के लिए बाद में सत्ता के आधार पर व्यापारियों को अयोग्य करार दे सकती हैं, छापे डाल सकती हैं, स्वयं नीति मूल्य न होने पर भी ईमानदारी की माँग कर सकती हैं।

संसार के बहुत से देशों में, कानून राजनैतिक पार्टियों के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। कानून इनकी स्थापना इनके काम करने के तरीकों को नियन्त्रित करते हैं और फंड, अंदरूनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, सदस्यों के रिकार्ड और भी बहुत से आयामों को नियन्त्रित करते हैं।

सत्ता में आने वाली राजनैतिक पार्टियाँ जो लोगों को अपने प्रति उत्तरदायी बनाना चाहती हैं कम से कम यह कहना तो अच्छा ही होगा कि वे भी देश के लिए, देश के कानूनों के प्रति और स्वयं अपने प्रति उत्तरदायी बनें।

अक्टूबर 1985 में एच.पी. ने राजनैतिक उत्तरदायित्व के कानून को प्रस्तावित किया है, यह उन राजनीतिज्ञों के लिए है जो सत्ता में आने के बाद अपने चुनावी वायदों को पूरा नहीं करते। यह एक क्रांतिकारी प्रस्ताव है जिसकी संभाव्यता और महत्ता को लोगों द्वारा समझा जाना चाहिए। जो लोग इस बात को समझते हैं उन्होंने इसका दिल खोलकर स्वागत किया है और इसकी जरूरत को महसूस किया है।

अब हम इस उत्तरदायित्व के दायरे को उन संगठनों तक भी ले जाना चाहते हैं जो इस तरह के राजनीतिज्ञों को पनपने के अवसर देते हैं और मेरे जिम्मेदार पार्टियों को भी पनपने के अवसर देते हैं।

इसी कारण राजनैतिक पार्टियाँ अपने अधिकारों का तो पूरा दोहन करती हैं पर अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती हैं। यही वह मुख्य कारण है कि राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, विशेष अधिकारों का लाभ उठाते हैं और क्या-क्या नहीं करते। जो बच्चे इन परिवारों में पलते-बढ़ते हैं, वे सब ऐसा होते हुए देखते हैं। हम चाहते हैं कि वे लोग जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, देश के लक्ष्य और भाग्य को तय करते हैं उन्हें उन गुणों का मॉडल होना चाहिए जिनकी वे हमसे और देश से अपेक्षा करते हैं। नहीं तो दोहरे मापदण्ड राजनीति का हमेशा-हमेशा के लिए एक विशेष गुण बने रहेंगे।

ये राजनीतिज्ञ समाजवाद को लोगों में एक सपने की तरह महँगे दामों में जनता को बेचते रहेंगे।

इसलिए एच.पी. ने एक और प्रस्ताव पारित किया है—राजनैतिक पार्टियों का राष्ट्रीय

कानून। इस कानून के द्वारा उनकी संरचना और कार्य शैली को नियन्त्रित किया जाएगा। उन्हें अन्य संगठनों की तरह सभी के प्रति उत्तरदायी बनाया जाएगा, उनके पास सबसे अधिक सत्ता है, प्रभावशाली हैं, फिर भी वे कम उत्तरदायी होने का अधिकार कैसे पा सकते हैं, किस आधार पर वे अपने उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं।

अलग-अलग तरीकों से पर लगभग एक ही मात्रा में ये सभी प्राइवेट कंपनियाँ चैरिटेबल ट्रस्ट, सहकारिताएँ, सरकारी अनुभाग उत्तरदायी हैं। यदि सभी राजनैतिक पार्टियाँ जो उपर्युक्त की अपेक्षा कहीं अधिक सत्ता रखती हैं, उनसे उतनी ही जिम्मेदारियों की बात व अपेक्षा क्यों नहीं की जाती? केवल सत्ता, उत्तरदायित्व की कमी, केवल भ्रष्टाचार। क्या आप पुलिस या फौज की गैर जिम्मेदारी की कल्पना कर सकते हैं?

एच.पी. ने राजनैतिक पार्टियों के राष्ट्रीय कानून का प्रस्ताव पारित किया है। इस कानून से कम से कम तीन बातें तो सुनिश्चित की ही जा सकती हैं—स्पष्ट उत्तरदायित्व, फंड का लेखा-जोखा, आंतरिक प्रजातंत्र और सदस्यों का रिकार्ड।

फंड के लेखे-जोखे से तात्पर्य उनके स्रोत और उपयोग से है। यह धन आखिर आता कहाँ से है? इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जा रहा है, क्या यह हमारे राष्ट्र के हित में हैं? क्या हम यानी कि वोटर इस बात की स्पष्टता की माँग कर सकते हैं? इन पार्टियों के फंड का लेखा-जोखा विश्वसनीय और स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा रखा जाना चाहिए।

आंतरिक प्रजातंत्र से तात्पर्य है कि पार्टी अधिकारियों का चुनाव सभी सम्बद्ध के वोटों के आधार पर होना चाहिए। इससे धन के आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगेगी। संबंध तथा अन्य गलत नीतियों के आधार पर होने वाले फैसलों पर भी रोक लगेगी। पार्टी अधिकारी रूप से नहीं थोपे जाने चाहिए क्योंकि ये 'लाबी' यानी कि पार्टी बाजी व्यक्तिगत हितों पर आधारित होती हैं। पार्टी में आंतरिक अनुशासन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है जब पार्टी के अधिकारी और नेता अपने रैंक की गरिमा का ध्यान न रखें पालिटिकल पार्टियाँ किया की जमींदारी नहीं है।

अकाउन्टेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व जो कि सदस्यता के रिकार्ड से संबंधित है, से तात्पर्य है कि जितने भी संगठन, सदस्य, संघ पार्टी से मान्यता/सदस्यता प्राप्त हैं, उनका पूरा लेखा जोखा रखा जाना चाहिए। यह आंतरिक प्रजातंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है। एक केन्द्रीय बोनाफाइड समिति हो जो यह जाँच करे कि मान्यता देने में तो किसी प्रकार की घपले बाजी नहीं हो रही? हर तरह की सदस्यता की जाँच होनी चाहिए और समिति द्वारा स्वीकृति मिलने पर 'सदस्यता' माननी चाहिए। इस प्रकार से सदस्यता की असली संख्या का प्रमाण मिल जाएगा और बेकार के दावे खारिज हो सकेंगे। इस प्रकार जब कोई सदस्य दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो उसे त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार त्यागपत्र देना अला व्यक्ति जब भी किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता के लिए निवेदन करता है तो उसे यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वह दूसरी किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं है।

यह राजनैतिक पार्टियों के कानून के कुछ मुख्य बिंदु हैं। यह अपने आप में एक अद्वितीय प्रस्ताव है, इसका संभवतया: लोगों के स्वयं के हित द्वारा विरोध किया जाए। यद्यपि यह संदेहजनक है कि और भी कोई पार्टी इस तरह के प्रस्ताव पर हामी भरेगी।

यह प्रस्ताव निश्चित रूप से उन भ्रष्टाचारी नीतियों और कार्यों को दूर करेगा जिनसे प्रजातंत्र को खतरा है और फिर राष्ट्र को खतरा है। चाहें जो भी हो हम आम व्यक्ति ही हर तरह के अन्याय के शिकार होते हैं, हमें उन लोगों को एक किनारे कर देना चाहिए

जो प्रजातंत्र के नाम पर केवल अपना हित साधते हैं।

हम अन्य पार्टियों व संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ इस काम में जुड़े और सत्ता पर इस बात के लिए दबाव बनाएँ।

टिप्पणी

टिप्पणी न. 1 संगठनात्मक विस्तार

विस्तार हमारे काम करने की शैली की एक स्थायी विशेषता है। अतः हमारा उद्देश्य सभी राज्यों में, केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों, जिलों, तहसील और तालुकों में संगठनात्मक योजना बनाने का है। हम भिन्न-भिन्न स्तरों पर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक शक्ति के रूप में उभर कर आना चाहते हैं।

टिप्पणी 2 व्यक्तिगत स्पष्टता

व्यक्तिगत हिंसा और इसे कैसे दूर किया जाए पर यदि स्पष्टता देनी है तो हर इच्छुक व्यक्ति/संघ/संगठन को बताया जा सकता है। व्यक्तिगत विकास के इस कार्यक्रम की शुरुआत का श्रेय एच.पी. की प्रेरणा के स्रोत को जाता है। चूँकि यह व्यक्तियों के रूपांतरण (जिससे समाज भी रूपांतरित साथ ही साथ होता है) का उद्देश्य अपने सामने रखती है, हम कह सकते हैं कि एच. पी. केवल पार्टी ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है।

टिप्पणी 3 एक सूची व्यवस्था (अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर)

एक सूची चुनाव व्यवस्था (उन से भिन्न जिनमें कई सूचियाँ होती हैं) का चयन एच. पी. में सभी के परामर्श से एकता व एकजुटता की स्थिति बरकरार रखने के लिए किया गया है।

काम करने की युक्तियों और विधियों में अंतर को न देखते हुए पार्टी के सिद्धांत और कार्य शैली प्रत्येक सदस्य और हर पार्टी संगठन के लिए एक से हैं।

इस प्रकार से जो भी विभिन्नताएँ हैं वे संगठन को समृद्ध ही करेंगी बजाय कि विभाजन करेंगी सिंगल लिस्ट इलेक्शन सिस्टम एक प्रकार से इस स्थिति में सुरक्षा ही प्रदान करेगा। इस प्रकार से सामान्य और स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा और सकारात्मक परिधियाँ तैयार होंगी।

इस संबंध में प्रतियोगिता का तात्पर्य प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक वोट हासिल करना होगा, इस प्रकार अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अधिक अवसर मिलेंगे और निर्णय लेने का अधिकार भी पार्टी की काउन्सिलों के भिन्न-भिन्न स्तरों पर रहेगा। उदाहरण के लिए एक काउन्सिल के अपनी लाइन के अधिक से अधिक सचिव।

यह कहा जा सकता है कि एच.पी. जनता व जन संचार के सामने एकरूप में प्रस्तुत है। यह महत्वपूर्ण और सराहनीय है कि यह हम क्या हैं हम क्या चाहते हैं, मुख्य चीजों में किस तरह से एकता, बहुरूपता, देखते हैं और किस प्रकार से एकता, बहुरूपता, देखते हैं और किस प्रकार से मिले-जुले एक्शन को अपनी मजबूती बनाते हैं—की सही छवि प्रस्तुत करती है।

हम चाहते भी यही हैं क्योंकि लोग भी इसी सत्य की प्रतीक्षा में हैं। वे पारम्परिक

पार्टियों, राजनीतियों और राजनेताओं का जो विभाजित है, कमजोर है, सामना करने के अयोग्य हैं का बहिष्कार करना चाहते हैं।

एक सूची की चुनाव व्यवस्था से एक ओर सम्बद्धों के वोट कार्यकर्ताओं के लिए होंगे और पार्टी संगठनात्मक लाइन के लिए भी होंगे जिनसे वे नियमित सम्पर्क में रहते हैं। कार्यकर्ता आंतरिक चुनावों के लिए अपनी लाइन से जितने भी वोट ले जाता है, उसी आधार पर वे अधिक से अधिक अपने सचिव पार्टी संगठन में नियुक्त कर पाएंगे।

बदले में उन्हें अनुपातिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और अन्य कार्यकर्ताओं की अपेक्षा निर्णय लेने के अधिकार भी अधिक मिलेंगे।

निर्णय लेने की प्रक्रिया से कोई भी बाहर नहीं होगा, हरेक को किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया में शामिल होने के मौके प्राप्त होंगे।